केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो :भारतीय बस्ती दैनिक वेब
www.bhartiyabasti.com
और उसका छपा संस्करण
सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क–bhartiyabasti@gmail.com
मो0 9450567450| 9336715406

दैनिक भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com
के लिये विज्ञापन बुक कराये।
विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम
सम्पर्क
मो0 9450567450
9336715406

भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :46 अंक 275 रविवार 4 मई 2025 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

एक नजर

दो हजार रुपये के विवाद में दोस्त की हत्या

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । नगर थाना क्षेत्र के बढ़नी गांव में एक ऑटो चालक की हत्या हो गई। मृतक की पहचान राजकुमार के रूप में हुई है। बताया जाता है कि आरोपी बादल, जो मृतक का दोस्त था, दो हजार रुपये के विवाद में यह वारदात की। शुक्रवार शाम को बादल राजकुमार के घर पहुंचा। वहां से वह ईंट भट्ठे पर गया, जहां राजकुमार काम कर रहे थे। बादल ने राजकुमार को अपने साथ ऑटो में चलने को कहा। जब राजकुमार मोबाइल देख रहे थे, तभी बादल ने चाकू से हमला कर दिया।

घायल राजकुमार को परिजन और स्थानीय लोग अस्पताल ले गए। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक के पिता सत्यनारायण की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया है।

अपर पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह के अनुसार, आरोपी बादल को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद हो गया है। मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

वाहन की टक्कर में पत्नी की मौत, पति घायल

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । छावनी थाना क्षेत्र में अयोध्या विकास प्राधिकरण गेट के पास सड़क दुर्घटना हुई। तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से एक महिला की मौके पर मौत हो गई। उसका पति घायल हो गया। दंपती संत कबीरनगर जिले के रहने वाले थे। वे किसी काम से बस्ती आए थे। वापस जाते समय यह हादसा हुआ।

स्थानीय लोगों ने घायल पति को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों के अनुसार उनकी स्थिति नाजुक है। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच चल रही है। स्थानीय लोगों ने इस जगह पर यातायात नियंत्रण और सुरक्षा के उपाय बढ़ाने की मांग की है।

नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । मुण्डेरवा पुलिस ने शनिवार को टेमा चौराहे से एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को शनिवार की सुबह 11.30 बजे पकड़ा। आरोपी की पहचान प्रवीन कुमार (21) के रूप में हुई है। वह रूधौली थाना क्षेत्र के गोठवा का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक, प्रवीन ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर भगाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। थाना मुण्डेरवा में इस मामले में पहले से मुकदमा दर्ज था। पुलिस ने आरोपी के साथ पीड़िता को भी बरामद कर लिया है। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

गिरफ्तारी में थानाध्यक्ष अतुल कुमार अंजान के नेतृत्व में उपनिरीक्षक जावेद खान, हेड कांस्टेबल राकेश यादव और महिला कांस्टेबल अंशिका गुप्ता शामिल रहे।

पीएम मोदी से मिले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, आतंकी घटना पर चर्चा

नई दिल्ली (आभा)। जम्मू–कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान, पिछले हफ्ते पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के आवास पर दोनों नेताओं के बीच यह बैठक करीब आधे घंटे चली। मालूम हो कि पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकवादी हमला होने के बाद से यह दोनों नेताओं के बीच पहली मुलाकात है। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें अधिकतर पर्यटक थे।

उमर अब्दुल्ला ने बीते दिनों कहा था कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जम्मू–कश्मीर में फैले जनाक्रोश ने उम्मीद की किरण जगाई है कि लोगों की मदद से आतंकवाद का जल्द ही खात्मा हो सकता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार आतंकवाद के खिलाफ लोगों के अभियान को मजबूत करने के लिए काम करेगी। अब्दुल्ला ने केंद्र से अपील करते हुए कहा कि ऐसे कदम न उठाएं, जिससे जनता अलग–थलग पड़ जाए। हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए जम्मू–कश्मीर विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र हुआ था। इस दौरान अब्दुल्ला ने इस घटना को सबसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि घटना के खिलाफ सड़कों पर जनाक्रोश उम्मीद की किरण जगाता है कि उनकी मदद से आतंकवाद का जल्द ही खात्मा हो सकता है।

वहीं, पीएम मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर एक बार फिर भारत के कठोर रुख की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि देश आतंकवादियों और उनके समर्थकों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी ने यह घोषणा चार दिवसीय यात्रा पर भारत आए अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेस लॉरेन्को के साथ चर्चा के बाद की। उन्होंने कहा, 'हम आतंकवादियों और उनका समर्थन करने वालों के खिलाफ दृढ़ और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।' पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव है। प्रधानमंत्री मोदी आतंकवादियों और उनके समर्थकों को दंडित करने की बात कह चुके हैं।

समाधान दिवस में आये 70 मामलों में 7 निस्तारित

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। जिलाधिकारी रवीश गुप्ता की अध्यक्षता में तहसील हर्रैया में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अभिनन्द ने भी शिकायकर्ताओं की समस्याओं को सुना। जिलाधिकारी ने सम्पूर्ण समाधान दिवस में जनता की शिकायतों को सुनते हुए सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि समस्याओं का निस्तारण गंभीरता के साथ किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि अधिकारी शिकायतकर्ताओं से सहजता से बात करें और स्थलीय निरीक्षण कर गुणवत्तापूर्ण व ससमय समस्याओं का निस्तारण करें। शिकायतों के निस्तारण करते समय अधिकारी शिकायतकर्ताओं से उनके मोबाइल नम्बर पर सम्पर्क करके इस बात को भी सुनिश्चित कर ले कि शिकायतकर्ता को संतुष्टि मिली है या नहीं।

जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए कि भूमि सम्बन्धी मामलों का प्राथमिकता के साथ निस्तारण किया जाए। आवास, चकमार्ग व रास्ते, नाली की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ निराकरण करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। खतौनी में नाम आदि की त्रुटियों को सही करने के निर्देश भी दिए। उन्होने सभी सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को मौके पर ही एकीकृत प्रयास कर निस्तारण के निर्देश दिये गये। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप जन शिकायतों का निस्तारण सम्बन्धित अधिकारीगण प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण ढंग से करते हुए शिकायतकर्ता को पूर्ण रूप से संतुष्ट किया जाय।समाधान दिवस में कुल 70 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें से 7 का मौके पर निस्तारण किया गया। इसमें राजस्व के 29, पुलिस के 12, विकास के 12, विद्युत के 08 तथा अन्य विभागों से 09 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये। सम्पूर्ण समाधान दिवस में सीएमओ डा. राजीव निगम, प्रभारी उप जिलाधिकारी सत्येन्द्र सिंह, जिला विकास अधिकारी अजय सिंह, पीडी राजेश कुमार, बीएसए अनूप तिवारी, मत्स्य कार्यकारी अधिकारी संदीप वर्मा, सीवीओ डा. अरूण कुमार गुप्ता, डीएचओ अरूण त्रिपाठी, जिला समाज कल्याण अधिकारी श्रीप्रकाश पाण्डेय, क्षेत्राधिकारी पुलिस, तहसीलदार सहित अन्य संबंधित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहें।

पंखे से लटकता मिला किशोरी का शव

–भारतीय बस्ती संवाददाता

–बस्ती। दुबौलिया थाना क्षेत्र के बैरागल गांव में एक 16 वर्षीय किशोरी का शव पंखे से लटकता मिला। किशोरी संतकबीरनगर जिले की रहने वाली थी। वह कुछ दिन पहले ही अपने मामा के घर आई थी। परिजनों ने किशोरी को फंदे से लटका देखा तो तुरंत दुबौलिया पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है।

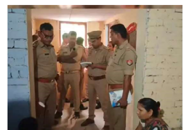

पुलिस मामले की हर दिशा में जांच कर रही है। आत्महत्या के साथ–साथ अन्य संभावनाओं पर भी जांच की जा रही है। मौत के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। गांव में इस घटना से शोक का माहौल है।

जमीन पर जबरिया कब्जे का आरोप उच्चाधिकारियों से लगाया न्याय की गुहार

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। कोतवाली थाना क्षेत्र के मूडघाट निवासी रामजनम पुत्र रामकेवल ने मुख्यमंत्री, मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक के साथ ही सम्बंधित अधिकारियों को पत्र देकर अपने पैतृक जमीन पर पुलिस के सहयोग से हरिश्चन्द्र चौहान द्वारा कराये जा रहे अवैध कब्जे पर रोक लगाने की मांग किया है।

उच्चाधिकारियों को दिये पत्र में रामजनम और उनके पुत्र राजेश कुमार चौहान ने कहा है कि मूडघाट स्थित उसकी पुश्तैनी जमीन पर गांव के ही हरिश्चन्द्र चौहान पुलिस से मिलीभगत कर जमीन पर जबरिया कब्जा करा लेने का षड़यंत्र कर रहे हैं। पुलिस ने जमीनी मामले में बिना तथ्यों की जांच कराये

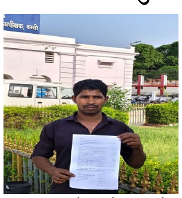

रामजनम, वृजेश चौहान, सुरेश चौहान, दुलारी चौहान को कोतवाली बुलाया और दूसरे पक्ष हश्चिन्द्र चौहान को छोड़ दिया गया। रामजनम ने मांग किया है कि जमीन की पैमाइश कराने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाय। रामजनम सहित 4 लोगों का पुलिस ने चालान कर दिया।

आम जनता की आवाज हैं पत्रकार–डा. वी.के. वर्मा

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। पत्रकारिता केवल समाचार देने का माध्यम नहीं है, यह समाज को दिशा देने वाला स्तंभ है। पत्रकार सच्चाई उजागर करतें है और आम जनता की आवाज हैं। यह विचार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन जिलाध्यक्ष डा. वी. के. वर्मा ने विश्व प्रेस दिवस के अवसर पर व्यक्त किया।

डा. वर्मा ने कहा कि भारत जैसे विविधतापूर्ण लोकतंत्र में पत्रकारों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पत्रकारिता एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और यूट्यूब जैसे माध्यमों ने खबरों को तुरंत आम जनता तक पहुंचाने में मदद की है। लेकिन इसके साथ ही फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा जैसी चुनौतियां भी बढ़ी हैं। ऐसे में जिम्मेदार और तथ्य आधारित

पत्रकारिता की जरूरत पहले से कहीं अधिक है। पत्रकारों को समाज और सरकार के बीच सेतु की भूमिका निभाते हुये रचनात्मक पहल करना होगा। कहा कि विश्व पत्रकारिता दिवस केवल एक दिन नहीं, बल्कि एक अवसर है यह सोचने का कि हम एक पत्रकार के रूप में, एक पाठक के रूप में और एक समाज के रूप में कितने जागरूक हैं। पत्रकारिता को सुरक्षित, स्वतंत्र और जिम्मेदार बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

कार्यवाहक डी.पी.आर.ओ. से मिले सफाईकर्मी समस्याओं के निस्तारण की मांग

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । शनिवार को उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ पदाधिकारियों और सफाईकर्मियों ने जिलाध्यक्ष अजय कुमार आर्य के नेतृत्व में कार्यवाहक जिला पंचायत राज अधिकारी राजेश कुमार से शिष्टाचार भेंट कर उनसे समस्याओं का समाधान कराने का आग्रह किया।

ज्ञात रहे कि जिला पंचायत राज अधिकारी रतनकुमार के सेवा निवृत्त हो जाने के बाद परियोजना निदेशक राजेश कुमार को जिला पंचायत राज अधिकारी का भी दायित्व सौंपा गया है। सफाई कर्मचारी संघ जिलाध्यक्ष अजय कुमार आर्य ने राजेश कुमार से सफाई उपकरण

उपलब्ध कराने, वरिष्ठता सूची तैयार कराये जाने, विकलांग सफाई कर्मियों को भत्ता दिलाये जाने, सर्विस बुक पूर्ण कराये जाने, वंचित सफाई कर्मियों के स्थायीकरण कराने, एसीपी लगाये जाने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति समस्या का समाधान कराने , एन.पी.एस. पासबुक बनाये जाने, बकाया ऐरियर भुगतान कराये जाने, मृतक आश्रित प्रकरणो का निस्तारण कराने आदि की मांग किया।

कार्यवाहक जिला पंचायत राज अधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि 1 जून तक विन्दुवार समस्याओं का निस्तारण करा दिया जायेगा। शासन स्तर से होने वाले समाधान के लिये पत्र लिखा जायेगा।

स्वागत करने वालों में मुख्य रूप से पेशकार, अमित चक्रवर्ती, शिवमंगल पाण्डेय, अशोक कुमार दूबे, राजेश कुमार, जगदीश सैनी, चन्द्र मोहन मिश्र, लालता प्रसाद के साथ ही अनेक सफाईकर्मी शामिल रहे।

जेल में बंद नेताओं से नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पाण्डेय ने किया मुलाकात

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। नेता प्रतिपक्ष व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय जिला कारागार बस्ती पहुंचे। उन्होंने कारागार में निरूद्ध सपा नेता त्रयंकब पाठक और मो. इरफान मलिक से मुलाकत की और उनका हाल जाना। यह नेता 2003 में विधान परिषद चुनाव की मतगणना के दौरान मतपत्रों के लूटने और मारपीट के आरोपी हैं और उन्हें तीन–तीन वर्ष की सजा मिली है। विधान परिषद चुनाव 2003 की मतगणना में आठ लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। आरोपियों में सपा प्रत्याशी कंचना सिंह, आदित्यविक्रम सिंह, तत्कालीन प्रमुख सल्टौआ बृजभूषण सिंह, तत्कालीन प्रमुख त्रयंबकनाथ पाठक, पूर्व प्रमुख महेश सिंह, सपा नेता मो. इरफान मलिक, संजय प्रताप जयसवाल और अशोक सिंह शामिल रहे।

इनमें से दो की मौत हो चुकी है। शेष को तीन–तीन वर्ष की सजा और जुर्माना लगा है। एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा पाए पांच लोगों को जेल भेज दिया। इन पांचों में से दो

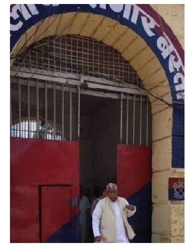

त्रयंबकनाथ पाठक और मो. इरफान मलिक सपा में हैं। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय शुक्रवार को मिलने दोपहर करीब 12 बजे जिला कारागार पहुंचे। जेल अधिकारियों ने नेता प्रतिपक्ष को जेल गेट पर रिसीव कर उनकी मुलाकात कराया। वहां से निकलने के बाद वे लखनऊ रवाना हो गए। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि जाति जनगणना की मांग सभी विपक्षी दल कर रहे थे। सबसे पहले सपा ने इस मांग को उठाया था। सरकार ने इस मांग को मान लिया है। यह हमारी नैतिक जीत है और हमारी मांग पूरी हुई है। पाक के सीजफायर उल्लंघन के मामले में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जहां तक सीज फायर तोड़ने का सवाल है तो इसका जबाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए। हमारी मांग है कि वे इस मुद्दे पर कठोर कार्रवाई करें।

मोबाइल गायब कर महिला के खाते से निकाल लिये एक लाख

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। साइबर अपराधियों ने महिला का मोबाइल सब्जी खरीदते समय गायब कर दिया। पुलिस को दी तहरीर में एक व्यक्ति ने बताया कि सब्जी खरीदते समय साहूपार बाजार में महिला के पर्स से मोबाइल चोरी कर लिया। इस मोबाइल में चल रहे नंबर के सहारे खाते में जमा रुपया निकाला गया। जालसाजों ने दो बार में एक लाख रुपया निकाल लिया। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू किया। जिले में इस प्रकार की घटनायें लगातार बढ रही हैं।

किन्नरों के इशारे पर युवक पर जान लेवा हमले का आरोपः एसपी से लगाया न्याय की गुहार

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। मुकदमे की पैरवी कर घर लौट रहे गौर थाना क्षेत्र के बजहिया निवासी संजय कुमार यादव पुत्र स्वर्गीय पतिराम यादव को अज्ञात लोगों द्वारा पानी टंकी के निकट मारने पीटने, जान लेवा हमला करने का मामला सामने आया है। संजय कुमार यादव को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शनिवार को अमित के भाई संजय कुमार ने एसपी को पत्र देकर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई और अपने परिवार के जान माल के रक्षा की गुहार लगाया है।

एसपी को दिये पत्र में अमित कुमार ने कहा है कि गत 30

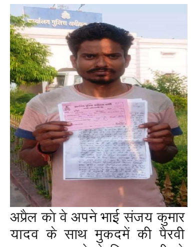

अप्रैल को वे अपने भाई संजय कुमार यादव के साथ मुकदमें की पैरवी कर घर जा रहे थे कि कचहरी के निकट पानी की टंकी के पास मौजूद कुछ लोगों ने लोहे के राड, हाकी आदि से संजय कुमार को मारने पीटने लगे। किसी तरह से उसकी जान बची। संजय को गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पत्र में कहा गया है कि सुमन किन्नर रेहान, शान्ती किन्नर निवासी आमा टिनिच, शिवकुमार पुत्र प्रहलाद विश्वकर्मा थाना गौर के इशारे पर जानलेवा हमला कराया गया है। इन लोगों ने पहले भी संजय को जान से मार देने की धमकी दिया था। अमित कुमार ने परिवार की सुरक्षा और दोषियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग किया है।

आंखो के इलाज के लिये उम्मीद बनकर उभरा बस्ती का अयोध्या आई हॉस्पिटल

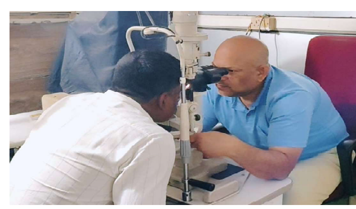

परीक्षण करते डा. रजी हसन

प्रबंधक अविरल सिंह

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। आँखों के समग्र इलाज के लिये बस्ती का अयोध्या आई हॉस्पिटल उम्मीद बनकर उभर रहा है। पिछले 22 वर्षो से मणि मंदिर सेवा न्यास समिति द्वारा संचालित अयोध्या आई हॉस्पिटल की विकास यात्रा, भावी योजना, आंखो के रोग के पूर्ण निदान आदि के बारे में अयोध्या आई हॉपिटल के प्रबंधक अविरल सिंह ने बताया कि अयोध्या आई हॉस्पिटल बस्ती में आँखों की सम्पूर्ण देखभाल अब और भी उन्नत सुविधाओं के साथ किया जा रहा है।

प्रबंधक अविरल सिंह ने बताया कि बस्ती जनपद में बिगत कई वर्षों से स्थापित अयोध्या आई हॉस्पिटल अत्याधुनिक सुविधाओं एवं अत्याधुनिक मशीनो से लैस है अब जल्द ही हॉस्पिटल में रेटीना के डाक्टर भी सेवायें देंगे, अभी तक रेटीना के डाक्टर न रहने के कारण रेटीना ऑपरेशन के लिए मरीजों को जिले से बाहर महानगरों की ओर जाना पड़ता था। मगर अब जल्द ही यह सुविधा बस्ती के अयोध्या आई हॉस्पिटल मणि मंदिर सेवा न्यास समिति द्वारा संचालित होंगी। बताया कि अन्य शाखाएं अन्य जनपदों में विस्तारित की जा रही है अभी तक बस्ती जनपद के अयोध्या आई हॉस्पिटल में प्रत्येक वर्ष कई हजार लोगों के प्रत्येक वर्ष सफल इलाज किया गया है । यह क्रम अनवरत जारी है।

बताया कि हास्पिटल के पास सभी प्रकार के आँख के ऑपरेशन में लगने वाले लेन्स उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ देशी ही नहीं बल्कि विदेशों में बने उच्च गुणवत्ता वाले लेंस उचित मूल्य पर उपलब्धा हैं । मरीज अपनी जरूरत और बजट के अनुसार लेंस का चयन कर सकते हैं।

प्रबंधक अविरल सिंह ने बताया कि बस्ती के अयोध्या आई हॉस्पिटल में आंखों के रेटीना के डाक्टर की सुविधा जल्द होगी रेटीना ऑपरेशन के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि ग्लूकोमा, मोतियाविन्द, कम्प्यूटर विजन सिन्ड्रोम, चाइल्ड आई केयर एण्ड स्क्विन्ट, डायबिटिक आई डिजिज, ड्राई आई का उपचार अत्याधुनिक संसाधनों से किया जा रहा है। हास्पिटल में आयुष्मान कार्ड की सुविधा उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड न होने पर गरीब राशन कार्ड धारकों को न्यूनतम शुल्क पर ईलाज और आपरेशन की सुविधा उपलब्ध कराया जाता है।

अयोध्या आई हॉस्पिटल बस्ती के आई सर्जन डाक्टर रजी हसन, आशीष गुप्ता एवं अन्य डॉक्टरों की टीम ने बताया कि बिना चीरा–टाँका (फेको विधि) से मोतियाबिन्द का सफल ऑपरेशन अयोध्या आई हास्पिटल बस्ती में कुशल नेत्र विशेषज्ञ के द्वारा किया जाता है। अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन कभी भी संभव है सर्दी का इंतजार नहीं! अनुभवी डॉक्टरों की टीम का कहना है कि यह एक भ्रम है कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन केवल सर्दियों में ही कराना चाहिए। आज की आधुनिक तकनीकों जैसे कि फेको विधि और लेजर तकनीक की मदद से अब यह ऑपरेशन बिना टांके, कम समय में और किसी भी मौसम में किया जा सकता है , चाहे गर्मी हो या ठंड।

उन्होंने बताया कि यदि आप मधुमेह या समलबाई से पीड़ित हैं तो आप अयोध्या आई हॉस्पिटल बस्ती के कुशल नेत्र विशेषज्ञ से अपने आंखों की नियमित जाँच अवश्य करायें। यदि आपकी उम्र चालीस वर्ष से अधिक हो तो आपको खतरा ज्यादा है।

इसके साथ ही डाक्टर रजी हसन,डॉ आशीष गुप्ता एवं टीम ने आंखों के उपचार और बचाव के बारे में विस्तृत रूप से बताया कि आंखों को धूल , धुंआ , धूप से बचाए । एवं नियमित रूप आकर जांच कराए। आंख है तो जहान है। इससे समझौता नहीं करना चाहिये।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मै इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"–वेंडेल फिलिप्स

दैनिक भारतीय बस्ती

बस्ती 4 मई 2025 रविवार

सम्पादकीय

सड़कों पर लहूलुहान होती जिन्दगी

इसमें दो राय नहीं कि अच्छी और निर्बाध सड़कें विकास के लिए अनिवार्य मानक हैं। पर ऐसी सड़कें अगर रफ्तार के बरक्स सफर करने वालों की जिंदगी को जोखिम में डालने का कारक बनती हैं, तो इसका मतलब है कि ऐसी सड़कों पर बचाव के उपायों का खयाल रखना जरूरी नहीं समझा गया है। यह छिपा नहीं है कि राजमार्ग या लंबी दूरी वाले एक्सप्रेस–वे ने लोगों की यात्रा को आसान और समय बचाने वाला बनाया है, मगर इसके साथ–साथ ऐसी सड़कों पर होने वाले हादसे और उसमें मरने वालों की दर भी तेजी से बढ़ी है।एक मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर सड़क हादसों में इतने लोगों की जान जा रही है, तो बड़े–बड़े राजमार्गों के निर्माण का क्या उद्देश्य है। अदालत ने केंद्र सरकार से सड़क हादसों में नकदीरहित इलाज की योजना के अब तक लागू न होने को लेकर भी सवाल पूछे।

अव्वल तो सड़क सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे उसके लिए नियम–कायदे बनाना हो या फिर लोगों के भीतर जिम्मेदारी से वाहन चलाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाना। दूसरे, अगर किन्हीं हालात में हादसे होते हैं तो उसके बाद हताहतों के जीवन को बचाना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। यह तथ्य है कि सड़क दुर्घटना में अगर कोई घायल हो जाता है तो उसके बाद के एक घंटे का वक्त यानी 'गोल्डन आवर' उसके जीवन के लिए बेहद महत्त्वपूर्ण होता है।

इस अवधि में अगर उसे उचित इलाज मिल जाए तो उसकी जान बच सकती है। मगर हकीकत यह है कि लंबी दूरी के राजमार्गों या एक्सप्रेस–वे तो बना दिए गए हैं, लेकिन हादसे की स्थिति में घायलों को समय पर इलाज मुहैया कराने के लिए अस्पताल की व्यवस्था से लेकर वहां पहुंचाए जाने के जरूरी इंतजामों की अनदेखी की जाती है।

सवाल है कि अगर सरकार ने हादसे के बाद एक घंटे की बेशकीमती अवधि में नकदीरहित इलाज का भरोसा दिया है, तो व्यवहार में उसे लागू करने में उसे क्या दिक्कत है। सड़क हादसों में अनेक ऐसे लोगों की भी मौत हो जाती है, जिन्हें समय पर इलाज मुहैया करा कर बचाया जा सकता था।

स्कूली शिक्षा और भोजन

स्कूलों में भोजन के प्रावधान पर एक अलग सर्वेक्षण से पता चलता है कि 72 फीसदी देशों में स्कूल परिसरों में खाद्य पदार्थों के विपणन पर किसी न किसी तरह की पाबंदी है. इसके अलावा इनमें से 52 फीसदी देशों में स्कूलों के पास खाद्य पदार्थों की बिक्री पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध लागू है. इसके बावजूद रिपोर्ट में दो तथ्यों की ओर खासतौर पर ध्यान दिया जाना चाहिए. एक, अस्वास्थ्यकर भोजन या पेय पदार्थों की खपत कम करने पर जोर नहीं दिया गया है. दूसरा, स्कूली भोजन में विधायी सुधारों के बजाय व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर जोर दिया गया है. यह भी पाया गया कि अधिकांश स्कूल भोजन कार्यक्रमों का उद्देश्य पोषण, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा उद्देश्यों के साथ–साथ शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करना था, लेकिन मोटापे से निपटने या इसकी रोकथाम पर कम ही ध्यान दिया गया.

रिपोर्ट में जहां जलवायु परिवर्तन, वैश्विक संघर्ष और अस्थिरता के कारण बढ़ती खाद्य सुरक्षा चुनौतियों के बीच पोषणयुक्त भोजन की उपलब्धता को शिक्षा के लिए आवश्यक बताया गया है, वहीं भारत के संदर्भ में बताया गया है कि मध्याह्न भोजन योजना से स्कूलों में लड़कियों और वंचित वर्गों की उपस्थिति पर सकारात्मक असर पड़ा है. निष्कर्ष के तौर पर रिपोर्ट में कहा गया है कि स्वास्थ्य, पोषण, कृषि और खाद्य प्रणालियों सहित कई क्षेत्रों में शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण की आवश्यकता है.

स्पष्ट संबंध होने के बावजूद शिक्षा और पोषण के बीच संबंध अब भी कम ही खोजे गये हैं. रिपोर्ट में समग्र दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया गया है, जिसके तहत स्कूल में भोजन के प्रावधान को पोषण शिक्षा, शारीरिक गतिविधि और पाठ्येतर गतिविधियों के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए. जाहिर है, इस क्षेत्र में अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है।

शिक्षा के बाजारीकरण में उलझी युवा पीढी

–अविजित पाठक–

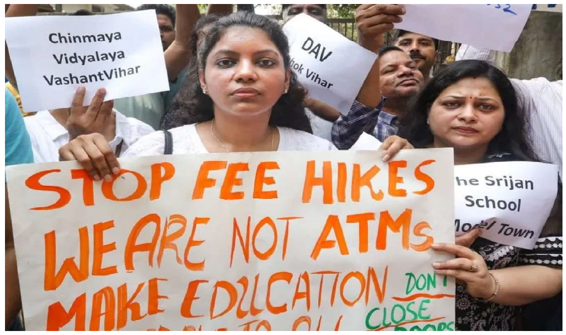

शिक्षा की दुकानें अपने पैकेज्ड यानी कमोडिफाइड शिक्षा की कीमत कम करें। हालांकि, सरकार से यह मांग करना कि जो टैक्स हम भरते हैं, उसका सही इस्तेमाल किया जाए ताकि कम से कम किफायती, समावेशी और अच्छी गुणवत्ता वाले सरकारी स्कूल, सरकारी विश्वविद्यालय और सरकारी अस्पताल मिल सकें, इस हक के वास्ते सड़क पर उतरना हमें मंजूर नहीं।

जब हाल ही में मैंने राष्ट्रीय राजधानी में फीस में अनाप–शनाप वृद्धि–ट्यूशन फीस से लेकर वातानुकूलित कक्षाओं के लिए अतिरिक्त शुल्क तक के खिलाफ गुस्साए अभिभावकों की खबरें देखीं तो मेरे मन ने उन विरोधाभासों पर विचार करना शुरू कर दिया, जो तथाकथित तरक्कीपसंद एवं महत्वाकांक्षी वर्ग के जीवन–ढंग को चरित्रार्थ करते हैं। हां, मैं समझ सकता हूं कि कोई फैंसी निजी स्कूल, जहां वे अपने बच्चों को शिक्षा के लिए भेजते हैं, यदि मनमाने ढंग से फीस बढ़ा दे, उनकी जरा सुनवाई न करे और उन्हें महंगी वर्दी, नोटबुक और गैर–एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकें खरीदने के लिए मजबूर करे, तो गुस्सा होने के उनके कारण वाजिब हैं। मेरी उस अभिभावक से पूरी सहानुभूति है, जब वह कहता है कि एक बंदे की कमाई पर चलने वाले परिवार के लिए 50,000 रुपये सालाना प्रति बच्चा का अतिरिक्त चुकाना बेहद मुश्किल हो जाएगा।

फिर भी इन गुस्साए अभिभावकों से एक सवाल पूछे बिना मुझसे रहा नहीं जा रहारू क्या उन्हें नहीं पता था कि बच्चों को इन आलीशान निजी स्कूलों में भेजने का उनका फैसला शिक्षा के बाजारीकरण और वस्तुकरण को अपनी सहमति देने जैसा था? और क्या यह सच नहीं है कि हममें से कई लोग, जो इस वर्ग से हैं, क्या कभी उन्होंने कभी सरकार पर यह दबाव डालने की जहमत उठाई है कि सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल हमारे बच्चों को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए सुसज्जित क्यों नहीं हैं? वास्तव में, इसकी बजाय जब मैं हर सुबह डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, सिविल सेवक, प्रोफेसर और अन्य पेशेवरों को अपने बच्चों के साथ वातानुकूलित स्कूल बसों का इंतजार करते हुए देखता हूं और ठीक इसी वक्त फटे–मटमैले कपड़ों में कुपोषित बच्चे पास के नगरपालिका स्कूलों की ओर जा रहे होते हैं, मैं एक अन्य तल्ख हकीकत देख रहा होता हूं, जो अत्यधिक असमान व विषमता भरे इस देश की विशेषता है। शायद ही कभी ये दोनों दुनिया आपस में मिलती हों।

वास्तव में, हम यह विलय करना ही नहीं चाहते थे। एक सुचालित सार्वजनिक क्षेत्र के लिए हमने मिलकर लड़ाई लड़ी ही नहीं। इसकी बजाय, हमने खुद को हर उस चीज से अलग करना शुरू कर दिया जो 'सार्वजनिक' है। सार्वजनिक परिवहन की बजाय अपने निजी वाहन या सरकारी अस्पतालों की बजाय निजी नर्सिंग होम तक – हमने खुद का गरीबों, वंचितों और निम्न मध्यम वर्ग के संघर्षों से किनारा कर लिया।

इसका नतीजा यह है कि सरकार भी सामाजिक रूप से सार्थक सभी कल्याणकारी परंपराओं से दूर होती जा रही है। इसलिए, कुछ हद तक यह पाखंड लगता है, जब हम इस पर रोष करने लगें कि नई दिल्ली के एक जाने–माने निजी स्कूल की वार्षिक ट्यूशन फीस (पंजीकरण, विकास, परीक्षा शुल्क और परिवहन जैसे अतिरिक्त शुल्कों के अलावा) 2 लाख रुपये है। यह सोच कुछ वैसी ही है कि यदि आप और मैं गुहार करें और अपनी वित्तीय कठिनाइयों की कहानियां बताएंगे तो कोई फैंसी कॉर्पोरेट अस्पताल पसीज कर अपना शुल्क घटा देगा!

यह वास्तव में चिंता का विषय है कि हमारे सार्वजनिक स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय तेजी से कम हो रहे हैं, और निजी उद्यम कुकुरमुत्ते की भांति तेजी से उग रहे हैं। संभवतः, मेरी पीढ़ी कुछ हद तक भाग्यशाली थी। जी हां, मैं पश्चिम बंगाल के एक बांग्ला–माध्यम सरकारी विद्यालय में पढ़ा हूं। हमारे स्कूल में हम धाराप्रवाह अंग्रेजी में बात नहीं करते थे, हमारे पास वह सब नहीं था जिसे आज वाली पीढ़ी एक जरूरी 'सांस्कृतिक पूंजी' मानती है रू वे प्रतीक और चाल–चलन, जो हमें हर उस चीज से अलग करे, जो 'सामान्य' है। और फिर भी, मुझे यह कहने में जरा संकोच नहीं है कि हमें काफी हद तक बढ़िया शिक्षकों की संगति मिली, और हमारा शैक्षणिक कौशल काफी संतोषजनक रहा। इसके अलावा, इस सरकारी स्कूल में, मैंने विविधता और बहुलता के परमानंद का अनुभव किया। मेरे दोस्त अलग–अलग जातियों, वर्गों और धर्मों से थे। अमीर और गरीब के बीच कोई भेदभाव नहीं था। वास्तव में, जो लोग निजी स्कूलों के सामने फीस वृद्धि का विरोध कर रहे हैं, उन्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब मैंने 1974 में अपनी बोर्ड परीक्षा दी थी, तब ट्यूशन फीस मात्र 5 रुपये प्रति माह थी!

संभवतः, 'सामान्य स्कूलों' वाली महान दृष्टि जो कोठारी शिक्षा आयोग, 1966 की सिफारिशों की विशेषता थी, तब तक भी जीवित थी। भारत गरीब था लेकिन तब भी, 'दक्षता' और 'विकास' के नवउदारवादी सिद्धांत में छिपा बाजार–कट्टरवाद का तर्क इतने स्पष्ट रूप से उघड़ा नहीं था। सरकारी स्कूलों से लेकर समावेशी और किफायती सार्वजनिक विश्वविद्यालयों तक रू हमारी यह यात्रा, भले ही परिपूर्ण न हो, लेकिन इसने हमें सिखाया कि किस प्रकार समाजवादी व कल्याणकारी नीतियों के बिना, भारत असमानता और शोषण के अभिशाप को दूर करने, एक लोकतांत्रिक और समतावादी राष्ट्र की ओर नहीं बढ़ सकता।

हालांकि, हमारे समय में भी, नवउदारवादी बाजार कट्टरवाद की चमक–दमक ने हमउम्रों को भी बहकाया है। कोई आश्चर्य नहीं कि हम सरकार से कुछ भी ठोस मांग नहीं करते हैं। इसकी बजाय, हमने यह स्वीकार लिया है कि लगभग हर वह चीज– चाहे शिक्षा हो या स्वास्थ्य, यहां तक कि शुद्ध हवा भी– एक वस्तु भर है और अगर आपके और मेरे पास पैसा है, तो हम इसे खरीद सकते हैं। 'सार्वजनिक मुद्दों के निजी समाधानों' में यह नवउदारवादी विश्वास इतना गहरा पैठ चुका है कि हम सरकार से कुछ भी ठोस मांगना भूल गए हैं। हमें अपने विरोधाभासों को स्वीकार करना होगा। हम चाहते हैं कि ये शिक्षा की दुकानें अपने पैकेज्ड यानी कमोडिफाइड शिक्षा की कीमत कम करें। हालांकि, सरकार से यह मांग करना कि जो टैक्स हम भरते हैं, उसका सही इस्तेमाल किया जाए ताकि कम से कम किफायती, समावेशी और अच्छी गुणवत्ता वाले सरकारी स्कूल, सरकारी विश्वविद्यालय और सरकारी अस्पताल मिल सकें, इस हक के वास्ते सड़क पर उतरना हमें मंजूर नहीं।

साझा सार्वजनिक चिंताओं के प्रति हमारी इस उदासीनता ने ही ऐसी स्थिति पैदा की है जिसमें हम तमाम सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की कम होती संख्या देख रहे हैं। उदाहरण के लिए, मेरे अपने स्कूल को ही लें, जिसने कभी मुझे मंत्रमुग्ध कर रखा था। आज जब मैं इस सरकारी स्कूल में जाता हूं, तो मैं हर जगह पसरा पतन देखता हूंदृ खाली पड़ी कक्षाएं, कम नामांकन और हतोत्साहित शिक्षक। दूसरी ओर, मैं मध्यवर्ग के लोगों की फैंसी निजी स्कूलों और ब्रांडेड कोचिंग सेंटरों के प्रति आसक्ति देखता हूं। संदेश स्पष्ट है रू शिक्षा आपका अधिकार नहीं है, यह बाजार में एक वस्तु भर है, जो आपको खरीदनी पड़ रही है और अगर आपके पास आवश्यक पैसा नहीं है, तो इसे भूल जाएं!

क्या हम जैसे लोग इन विरोधाभासों से पार पा सकेंगे, सड़क पर आकर शिक्षा के बदसूरत वस्तुकरण का विरोध कर पाएंगे और सरकार पर किफायती, समावेशी और अच्छी गुणवत्ता वाले सार्वजनिक स्कूल और विश्वविद्यालयों को बढ़ावा देने के लिए दबाव डाल सकते हैं?

–लेखक समाजशास्त्री हैं।

मीडिया की आजादी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई की चुनौती

–चेतनादित्य आलोक–

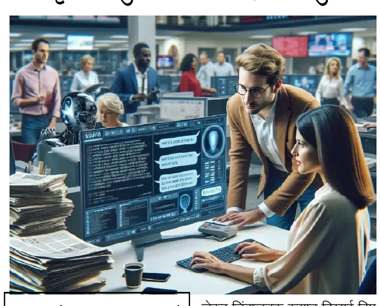

2024 के इस सूचकांक में भारत विश्व भर के 180 देशों में 159वें स्थान पर मौजूद है, जो पिछली रिपोर्ट से भी नीचे है।

किसी भी देश अथवा समाज में स्वतंत्र मीडिया के बिना स्वस्थ लोकतंत्र को सुनिश्चित कर पाना संभव नहीं हो सकता, क्योंकि मीडिया वास्तव में लोकतंत्र का प्रहरी होता है। लोकतंत्र का ही क्यों, मीडिया तो राष्ट्र, मानवीय सभ्यता और संस्कृति, यहां तक कि मानवता का भी रक्षक होता है। आश्चर्य नहीं कि समय–समय पर भारत एवं दुनिया भर में मीडिया ने अपनी भागीदारी एवं भूमिकाओं से इसे सही साबित भी किया है। यही कारण है कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। समय बीतने के साथ–साथ मीडिया ने अपने पिछले अनुभवों के आधार पर अपनी भागीदारी एवं भूमिकाओं में अपेक्षित परिवर्तनों के साथ विस्तार दिया है।

मीडिया के कार्य करने का मुख्य आधार 'जनपक्षधरता' और इसका प्रधान उद्देश्य 'जनता में जागृति' लाना होता है और इन्हीं दोनों कारणों से मीडियाकर्मियों यानी पत्रकारों के लिए बिना रोक–टोक, विरोध और अड़चन के अपने कार्यों का निष्पादन कर पाना कभी भी सहज नहीं रहा है। दरअसल, जनपक्षधरता और जनता में जागृति लाने का कार्य अत्यंत जोखिम भरा होता है। इसीलिए दुनिया भर में प्रायः पत्रकारिता को बेहद जोखिम भरा कार्य माना जाता है।

दुर्भाग्य से, दिनोंदिन जोखिम बढ़ने के कारण विश्व भर के लोकतांत्रिक देशों में पत्रकारों के लिए निष्पक्ष रहकर कार्य कर पाना लगातार मुश्किल और जोखिम भरा होता जा रहा है। कई बार अपने कार्यों का निष्पादन करते हुए पत्रकारों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। अब तक विश्व भर से ऐसे कई उदाहरण सामने आ भी चुके हैं। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2006 से 2020 के बीच दुनिया भर में 1,200 से अधिक मीडिया पेशेवरों की हत्या कर दी गई। इनमें से 90 प्रतिशत मामलों में उनके हत्यारे दंडित नहीं किए जा सके।

इसके बावजूद, पत्रकारिता के मानदंडों पर खरे उतरते हुए पत्रकार सत्य को उजागर करने की अपनी जिम्मेदारी निभाने को लेकर अपनी जान को जोखिम में डालने से भी नहीं हिचकते। अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर कार्य करने वाले पत्रकारों की आवाज को कोई भी ताकत दबा न सके और उनके निष्पक्ष और सशक्त अभियानों पर कोई भी व्यक्ति, संस्थान या सरकार अंकुश न लगा सके, इसके लिए उनकी स्वतंत्रता बहुत जरूरी और अहम है। जाहिर है कि यदि वे स्वतंत्र नहीं रहेंगे तो अपने कार्यों को निष्पक्ष रहते हुए अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे।

इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रेस की स्वतंत्रता के मूलभूत सिद्धांतों का पालन करने तथा पत्रकारों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 3 मई को 'विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस' मनाया जाता है। यह दिन उन पत्रकारों को स्मरण और सम्मानित करने तथा श्रद्धांजलि देने के लिए भी मनाया जाता है, जिन्होंने सत्य को उजागर करने की कीमत अपनी जान देकर चुकाई है अथवा जिन्होंने देश–दुनिया में अपनी पत्रकारिता के दम पर अपना नाम बनाया और एक मुकाम हासिल किया है।

प्रतिवर्ष रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स (आरएसएफ) द्वारा प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक नामक एक वैश्विक सूची प्रकाशित की जाती है। इस सूची में विश्वभर के पत्रकारों को कार्य करने की उपलब्ध स्वतंत्रता के आधार पर देशों की रैंकिंग प्रस्तुत की जाती है। बता दें कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट 2024 में भारतीय पत्रकारों को लेकर चिंताजनक रुझान दिखाई दिए हैं। दरअसल, 2024 के इस सूचकांक में भारत विश्व भर के 180 देशों में 159वें स्थान पर मौजूद है, जो पिछली रिपोर्ट से भी नीचे है। रिपोर्ट में मीडिया स्वामित्व संकेन्द्रण, पत्रकारों का उत्पीड़न और इंटरनेट शटडाउन जैसे मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है।

गौरतलब है कि 'विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस' मनाने के लिए यूनेस्को की ओर से प्रत्येक वर्ष एक वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इस वैश्विक सम्मेलन में सामान्यतः पत्रकारों, मीडिया नेताओं, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी होती है। बता दें कि 2025 में यह सम्मेलन 5 से 7 मई तक ब्रूसेल्स में आयोजित होने वाला है, जिसमें पत्रकारिता में एआई की परिवर्तनकारी भूमिका और मीडिया स्वतंत्रता के लिए इसके निहितार्थों पर ध्यान केंद्रित किया जाना है।

यूनेस्को द्वारा वर्ष 2025 के लिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम 'रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड दृ द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन प्रेस फ्रीडम एंड द मीडिया' घोषित की गई है। इस थीम का उद्देश्य आधुनिक पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के बढ़ते प्रभाव पर प्रकाश डालना है। गौरतलब है कि इस थीम के माध्यम से विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर तेजी से एआई–विनियमित डिजिटल वातावरण के भीतर मानव अधिकारों की रक्षा करने की तत्काल आवश्यकताओं पर जोर दिये जाने की संभावना है।

जब पत्रकारिता जिंदा थी...?

–प्रियंका सौरभ–

हर साल 3 मई को मनाया जाने वाला विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस न केवल पत्रकारिता के महत्व को रेखांकित करता है, बल्कि उन पत्रकारों के साहस और समर्पण को सम्मानित करता है जो सच्चाई की खोज में जोखिम उठाते हैं। वर्ष 2025 में यह दिन विशेष रूप से अहम है, क्योंकि मीडिया और तकनीक के बदलते परिदृश्य में प्रेस की भूमिका अब पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण और निर्णायक हो गई है।

इस दिन का उद्देश्य है प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, पत्रकारों के खिलाफ खतरों व हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाना, नैतिक और स्वतंत्र पत्रकारिता की रक्षा करना और अभिव्यक्ति की आजादी को कायम रखना। यह हमें याद दिलाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता कोई विशेषाधिकार नहीं, बल्कि मानव अधिकार है, जो हर नागरिक को सटीक जानकारी तक पहुंच का हक देता है और सत्ता को जवाबदेह बनाता है।

हर साल 3 मई को जब 'प्रेस स्वतंत्रता दिवस' आता है, तो एक गहरी चुप्पी के साथ यह सवाल भी उठता है कि क्या अब भी पत्रकारिता वाकई स्वतंत्र है? क्या यह दिन अब भी उस निडरता, जिम्मेदारी और सच्चाई का प्रतीक है, जिसे किसी जमाने में पत्रकारिता कहा जाता था? या अब यह दिन भी बस एक रस्मी औपचारिकता बनकर रह गया है, जैसे किसी मृत परंपरा की बरसी?

जिस पत्रकारिता की कभी सत्ता से टकराने की हिम्मत होती थी, आज वही सत्ता की गोद में बैठी दिखाई देती है। कलम अब धारदार नहीं रही, वह विज्ञापनों और प्रायोजनों की रोशनी में चमकने लगी है। संपादकीय नीति अब मूल्य आधारित नहीं, बाजार आधारित हो गई है। न्यूज चौनल्स पर खबरों की जगह चिल्लाहट है, बहस की जगह शोर, और सच्चाई की जगह स्क्रिप्ट।

यही वो दौर है जब एक नई जमात ने जन्म लियाकृसोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। ये वो लोग हैं जिनके पास पत्रकारिता की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं, पर कैमरे के सामने आने की कला है। इन्होंने सच्चाई की जगह फिल्टर, और रिसर्च की जगह रील को महत्व दिया। इनके लिए हर मुद्दा एक 'कंटेंट आइडिया' हैकृचाहे वो किसी किसान की आत्महत्या हो या किसी लड़की के साथ हुआ अत्याचार।

आज के इन्फ्लुएंसर उस भूमिका में आ गए हैं, जो कभी पत्रकार निभाया करते थे। फर्क सिर्फ इतना है कि पत्रकार किसी खबर के पीछे सच्चाई खोजता था, जबकि इन्फ्लुएंसर सिर्फ दृश्य और एंगेजमेंट खोजता है। पत्रकार गलत साबित हो सकता है, लेकिन वह जवाबदेह होता हैय इन्फ्लुएंसर सिर्फ व्यूज के आंकड़े गिनता है, चाहे उसकी बात का कोई आधार हो या नहीं।

पत्रकार की रिपोर्ट अगर जनता तक न पहुंचे, तो उसे उसकी ईमानदारी का इनाम बेरोजगारी में मिलता है। वहीं इन्फ्लुएंसर अगर भावुक रील बना दे, तो उसे ब्रांड डील और फॉलोवर मिलते हैं। पत्रकार अगर सत्ता से सवाल करे तो देशद्रोही कहा जाता है, लेकिन इन्फ्लुएंसर अगर वही बात हँसते हुए कर दे, तो उसे 'बोल्ड' कहा जाता है।

वास्तव में, आज हम एक ऐसे दौर में हैं जहां जनता ने भी सच सुनने की आदत छोड़ दी है। लोग तथ्य नहीं चाहते, वे भावनाएँ चाहते हैं। उन्हें विश्लेषण नहीं चाहिए, उन्हें मनोरंजन चाहिए। सवाल पूछना अब अवसाद पैदा करता है, और चुटकुले राहत देते हैं। यही वजह है कि प्रेस की चुप्पी हमें खलती नहीं, बल्कि रीलों का शोर हमें राहत देता है।

कल्पना कीजिए, आने वाले समय में 3 मई को हम 'प्रेस स्वतंत्रता दिवस' नहीं, बल्कि 'इन्फ्लुएंसर दिवस' मनाया करेंगे। स्कूलों में बच्चों से पूछा जाएगाकृष्बेटा बड़े होकर क्या बनोगे?' और जवाब मिलेगाकृष्वीडियो बना के देश बदलूँगा।ष् मंचों पर ट्रेंडिंग रीलर्स आमंत्रित होंगे, जो बताएंगे कि लोकतंत्र पर रील कैसे बनती है। और प्रेस? वह किसी कोने में बैठी होगीकृभूली–बिसरी यादों की तरह।

यह एक हास्यास्पद यथार्थ है, पर उतना ही सच्चा भी। क्योंकि लोकतंत्र की आत्मा, उसकी स्वतंत्र प्रेस में होती है। और अगर वो आत्मा अब इंस्टाग्राम के फॉलोवर गिनने में खो जाए, तो संविधान की प्रास्तावना भी किसी प्रोफाइल बायो जैसी लगने लगेगी।

कवियों, लेखकों, विचारकों और पत्रकारों को मिलकर इस गिरावट को समझना होगा। लोकतंत्र सिर्फ चुनाव से नहीं चलता, वह विचारों की अभिव्यक्ति और सत्य की खोज से चलता है। हमें फिर से उस पत्रकारिता को पुनर्जीवित करना होगा जो सवाल करे, सच्चाई बताए, और सत्ता के सामने झुके नहीं।

वरना वह दिन दूर नहीं जब हम सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चलाएंगेकृरुजीतवूइंबाज्वश्रवनतदंसपेउ, और उस दिन की सबसे वायरल रील होगीरू 'जब पत्रकारिता जिंदा थी...।

लार में पड़ोसी के घर में फंदे से लटका मिला युवक का शव, हत्या का आरोप

संवाददाता–देवरिया। जनपद के लार थाना क्षेत्र के चौमुखा में पूना से कमाकर लौटे युवक का शव शनिवार को पड़ोसी के घर में संदिग्ध परिस्थिति में फंदे से लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच की। साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों ने युवक की हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगाया है। पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट होने की बात कह रहे हैं। उधर घटना को लेकर तरह–तरह की चर्चाएं हैं। लार थाना क्षेत्र के ग्राम चौमुखा भोला उर्फ मुकेश (20) पुत्र स्वर्गीय किशुन हरिजन छो भाईयों में छोटे थे।

घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए वह पूना में काम करते थे। एक दिन पहले यानी शुक्रवार को ही वह कमाकर घर आए थे। शनिवार की सुबह मुकेश का शव पड़ोसी के घर में फंदे से लटके होने की सूचना मिली तो परिजन परेशान हो गए और पड़ोसी के घर पहुंचने के साथ ही पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर सीओ सलेमपुर दीपक शुक्ल समेत अन्य अधिकारी भी पहुंच गए और शव को फंदे से उतार कर कब्जे में ले लिया। उधर युवक के परिजन मुकेश की हत्या कर शव को फंदे से लटकाने का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिए। सीओ ने समझा–बुझाकर उन्हें शांत कराया और बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा।. ..तो फोन कर पड़ोस एक युवक ने बुलाया था अपने घर मुकेश की मां उर्मिला देवी, भाई नीकेश, बहन ज्योति घर पर रहती हैं। मां उर्मिला देवी ने बताया कि मेरा बेटा भोला उर्फ मुकेश पूना में रहकर मजदूरी कर हम लोगों का भरण पोषण करता था। शुक्रवार की सुबह लगभग 6:0 बजे पूना से घर आया था। पूरी रात वह मेरे घर पर ही था। सुबह नौ बजे पड़ोस का एक युवक फोन कर अपने घर बुलाया। लगभग दो घंटे बाद मुकेश के उस युवक के घर में फंदे से लटका शव मिलने की सूचना मिली। परिजनों ने बताया कि मां प्राथमिक विद्यालय में रसोईया है। वह खाना बनाने के लिए स्कूल चली गई थी। जबकि बड़ा भाई मजदूरी करने व बहन बकरी चराने के लिए खेत में चली गई थी। जब मुकेश को वह फोन कर बुलाया, उस समय मुकेश घर पर अकेले थे। मोबाइल खोलेगा घटना का राज पुलिस इस घटना का राज जल्द ही खोल देने का दावा कर रही है। पुलिस इस मामले में तीन लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस कर्मियों का कहना है कि मृतक व जिस घर में युवक की लाश मिली है, उस घर के एक युवती समेत दो अन्य का भी मोबाइल कब्जे में लिया गया है। तीनों मोबाइल के काल डिटेल पुलिस खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि मोबाइल में ही इस घटना का राज छिपा है। जल्द ही इस घटना से पर्दा उठ जाएगा। युवक का शव फंदे से लटका मिला है।

प्रथम दृष्टया मामला सुसाइड का ही दिख रहा है। कुछ मोबाइल के काल डिटेल खंगाले जा रहे हैं। एक युवती समेत कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जल्द ही इस घटना का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। दीपक शुक्ल, सीओ, सलेमपुर

जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सरकार की प्राथमिकता –पंकज चौधरी

संवाददाता–महराजगंज। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने शनिवार को महराजगंज स्थित अपने आवास पर जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने जनता और कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनीं। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों ने बिजली, सड़क, पेंशन और राजस्व संबंधित समस्याएं रखीं। मंत्री चौधरी ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुना। उन्होंने अधिकारियों को त्वरित और निष्पक्ष कार्यवाही के निर्देश दिए।

मंत्री ने कहा कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को क्षेत्र में जाकर जमीनी स्तर पर समस्याओं का आकलन करने को कहा। साथ ही समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वासश के सिद्धांत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार हर नागरिक की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है।

जनसुनवाई में भाजपा जिलाध्यक्ष संजय पाण्डेय, जिला पंचायत अध्यक्ष रविकांत पटेल और सदर विधायक जयमंगल कन्नौज्जिया मौजूद रहे। इसके अलावा पूर्व विधायक शिवेन्द्र सिंह, जर्नलिस्ट प्रेस क्लब अध्यक्ष अजय कुमार श्रीवास्तव समेत कई भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित थे। सभी ने अपने–अपने क्षेत्र की विकास योजनाओं और स्थानीय मुद्दों की जानकारी दी।

सड़क हादसे में पूर्व प्रधान समेत दो की मौत, तीन गंभीर

संवाददाता–महराजगंज। निचलौल–चिउटहा मार्ग पर पचमा गांव के पास शनिवार दोपहर में एक बड़ा हादसा हो गया। दो बाइकों में आमने–सामने की हुई टक्कर में एक बाइक पर सवार एक महिला और एक पूर्व प्रधान की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। सिन्दुरिया थाना क्षेत्र के ग्राम सेमरी निवासी मनवा पत्नी सलामत (55) और उसके पति सलामत को उसके गांव के पूर्व प्रधान मोहर्रम अली पुत्र रहमान निचलौल इलाज कराने लेकर जा रहा था। इस बीच पचमा गांव के पास सामने से दूसरी बाइक से सिन्टू पुत्र परदेशी और शनि पुत्र कालीचरन साहनी निवासी बरियारपुर थाना कोठीभार आ रहे थे।

दोनों बाइकों में आमने–सामने की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में मनवा पत्नी सलामत निवासिनी सेमरी की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर एसओ निचलौल अखिलेश वर्मा टीम के साथ पहुंच गए। पुलिस ने घायलों को प्राथमिक इलाज के लिए सीएचसी मिठौरा और निचलौल भिजवाया। घायल मोहर्रम पुत्र रहमान और सलामत पुत्र शोहरत अली निवासी सेमरी थाना सिन्दुरिया, मनवा पत्नी सलाम निवासी सेमरी, सिन्टू पुत्र परदेशी और शनि पुत्र कालीचरन साहनी निवासी बरियारपुर थाना कोठीभार को पुलिस ने सीएचसी पहुंचाया, जहां मनवा पत्नी सलामत को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। जिला अस्पताल ले जाते समय सेमरी के पूर्व प्रधान मोहर्रम अली की भी मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दो बाइकों में आमने–सामने की टक्कर में दो की मौत हुई है और तीन लोग घायल हुए हैं। मृत महिला और एक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इस मामले में तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अखिलेश वर्मा, एसओ, निचलौल

सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर नहीं लगेगा मेला, प्रशासन ने नहीं दी अनुमति

संवाददाता–बहराइच। सैयद सालार गाजी (गाजी मियां) की दरगाह पर इस साल मेला नहीं लगेगा। सिटी मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर ने एलआईयू रिपोर्ट के आधार पर मेले की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। बताया जा रहा है कि 500 साल में पहली बार ऐसा होगा, जब गाजी मियां का मेला नहीं लगेगा। बहराइच सीओ सिटी ने बताया कि पहलगाम हमले के विरोध में देश में आक्रोश हैं। जगह–जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। हालात को देखते हुए मेला लगने अनुमति नहीं दी गई है। मेला 15 मई से 15 जून तक चलता था। इसमें करीब 15 लाख हिंदू और मुस्लिम श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना थी। मेला कमेटी ने प्रशासन से इसकी अनुमति मांगी थी। इसी बीच लोकल इंटेलिजेंस यूनिट (स्प्न) ने 12 पन्नों की रिपोर्ट कमिश्नर शशि भूषण लाल सुशील और डीआईजी अमित पाठक को भेजी।

रिपोर्ट में हाल ही में हुए पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए मेले में विरोध प्रदर्शन की आशंका जताई गई। इसमें यह भी कहा गया है कि देश के मौजूदा हालात को देखते हुए इस तरह के आयोजनों पर रोक लगाई जानी चाहिए। सीओ सिटी पहुप सिंह ने बताया– पहलगाम में हुए हमले को लेकर लोगों में गुस्सा है। जगह–जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। साथ ही वक्फ बिल को लेकर भी आने वाले समय में कुछ संगठनों की ओर प्रदर्शन की घोषणा की गई है। ऐसे में दरगाह पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते। कानून व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े, इसलिए मेले की अनुमति नहीं दी गई है।

दरगाह कमेटी से जुड़े एक सदस्य ने बताया– अभी तक जिला प्रशासन की ओर से मेले से संबंधित कोई बैठक नहीं हुई है, जोकि हर साल होती है। जिसकी वजह से दरगाह परिसर के बाहर लगने वाली अस्थाई दुकानों समेत झूला सर्कस समेत अन्य मनोरंजन के साधनों को अनुमति नहीं मिल सकी है। सिटी मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर मेले की अनुमति नहीं दी गई है। यह निर्णय शांति व्यवस्था, पहलगाम हमले और वक्फ बिल को लेकर संभावित प्रदर्शनों के मद्देनजर लिया गया है।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में कहा था कि आक्रांताओं का महिमा मंडन बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम किसी भी ऐसे देशद्रोही को स्वीकार नहीं करेंगे, जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो। आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो। बहन–बेटियों की इज्जत पर बुरी नजर रखता हो। भारत के महापुरुषों के प्रति सद्भाव हर नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। अगर किसी ने हमारी आस्था पर प्रहार किया तो उसे आज का नया भारत स्वीकार नहीं करेगा।

मार्ग दुर्घटना में मां बेटी की मौत, छह घायल

संवाददाता–बलरामपुर। ससुराल जा रही महिला व उसकी ढाई वर्षीय बेटी सड़क दुर्घटना की शिकार हो गई। कोतवाली नगर के पास हुई इस दुर्घटना में मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दो अन्य स्थानों पर हुई दुर्घटना में छह अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कोतवाली नगर क्षेत्र में हादसा मोटरसाइकिल को पीछे से ट्रक के टक्कर मारने से हुआ है। गोंडा जिले के भवनियापुर कलॉ थाना इटियाथोक के सुगानगर निवासी राम जनम अपनी 35 वर्षीय बेटी व ढाई साल की नातिन व चार साल के नाती को मोटरसाइकिल से लेकर उसके पति पवन कुमार निवासी सुगानगर कौवापुर छोड़ने जा रहे थे। दिन में लगभग चार बजे के करीब कोतवाली नगर के पास गोंडा मार्ग पर रानी धर्मशाला के पास गोंडा की ओर से आ रहे ट्रक ने पीछे से बाइक को जोरदार ठोकर मार दी। जिससे सभी बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। देखते ही देखते घटना स्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौके का फायदा उठाकर ट्रक चालक भागने का प्रयास किया, जिसे लोगों ने पकड़ लिया। घायलों को पुलिस ने एंबुलेंस से जिला मेमोरियल अस्पताल पहुंचाया जहां पर चिकित्सकों को 35 वर्षीय मीरा व ढाई साल की पुत्री को मृत घोषित कर दिया। वहीं दुर्घटना में घायल राम जनम व उनके नाती आदित्य का इलाज मेमोरियल अस्पताल में चल रहा है, जिनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

साले की शादी में आए जीजा की हत्या, चाकू से गर्दन काटी

संवाददाता–बलरामपुर। साले के शादी में आए जीजा की गला काटकर हत्या कर दी गई। ससुराल से महज 50 मीटर की दूरी पर शव मिला। युवक ने जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने उसे दौड़ा–दौड़ाकर मारा। बिजली पोल से सिर भिड़ा दिया। फिर चाकू से गला रेत दिया। मामला जुगली कला गांव का है। पुलिस का कहना है कि युवक का उसकी पत्नी से झगड़ा चल रहा था। पत्नी एक साल से मायके में रह रही है। ससुराल वालों ने बेटी को विदा करने की बात कहकर युवक को गोंडा से बलरामपुर बुलाया था। पुलिस ने ससुर, साले, पत्नी समेत 6 लोगों को हिरासत में लिया है।

हरेंद्र वर्मा (25) गोंडा के खरगूपुर थाना के देवरहना गांव का रहने वाला था। हरेंद्र खेती करता था। उसके पिता चंद्रप्रकाश लुधियाना में प्राइवेट जॉब करते हैं। 5 साल पहले हरेंद्र की शादी बलरामपुर के जुगली कला गांव निवासी उमा देवी (22) से हुई थी। एक साल से उमा मायके में रह रही है। ससुराल जाने को तैयार नहीं है। इसको लेकर हरेंद्र का उमा से कई बार विवाद हो चुका था। चाचा लल्लू ने बताया कि हरेंद्र के साले रात विलास की 30 अप्रैल को शादी थी। ससुराल ने हरेंद्र को फोन करके बुलाया था। कहा था कि शादी में आ जाओ। यहीं से बेटी को तुम्हारे साथ विदा कर देंगे। 30 अप्रैल को लल्लू और हरेंद्र शादी में पहुंचे थे। घर से 7 किलोमीटर की दूरी पर बारात गई थी। बारात के अगले दिन 1 मई को लल्लू अपने घर लौट आए। हरेंद्र अपनी पत्नी को वापस ले जाने के लिए ससुराल में रुका रहा। चाचा लल्लू ने बताया कि शुक्रवार रात 11 बजे गांव से अज्ञात व्यक्ति का फोन आया। उसने बताया कि आपके भतीजे की हत्या कर दी गई है। लल्लू ने हरेंद्र के ससुर और साले को कई बार फोन किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। गांव के प्रधानपति मंगल प्रताप ने बताया कि रात करीब 10 बजे गांव के कुछ लोगों को खेत में शव दिखा। मौके पर पहुंचे तो एक युवक मुंह के बल पड़ा था और गर्दन कटी हुई थी। पास में चाकू रखा था। शव के करीब 25 मीटर के दायरे में खून के कई धब्बे मिले। पास के एक बिजली के खंभे में 5 फीट की ऊंचाई तक खून लगा था। महाराजगंज तराई थाना प्रभारी अखिलेश पाण्डेय ने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है। परिजनों से तहरीर मिली है। मृतक के ससुर बिजई, साले राम विलास, पत्नी उमा देवी और 3 अन्य लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इनमें पड़ोसी गांव के दो युवक भी शामिल हैं। पुलिस की पूछताछ में अब तक पत्नी के गांव के ही एक युवक के प्रेम प्रसंग की बात सामने आ रही है। चाचा लल्लू ने बताया कि हरेंद्र घर का इकलौता लड़का था। तीन रीता, प्रीति और गीता में का अकेला भाई था। चार भाई बहनों में वह दूसरे नंबर पर था। बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। शेष दो की शादी होना बाकी है। पिता लुधियाना में काम करते हैं, जबकि हरेंद्र घर पर रहकर खेती–बाड़ी करता था।

हरेंद्र की सबसे छोटी बहन गीता ने कहा कि मेरे भाई को मार डाला। वह अपने ससुराल गया था। वहीं साजिश बनाकर उसे ससुराल वालों ने मार डाला। गीता ने बताया कि भाई कई दिनों से भाभी को घर लौटने के लिए मना रहा था, पर वह आने को तैयार नहीं थी। हम भाई के सिर पर सेहरा बांधने की तैयारी कर रहे थे। पुलिसवालों ने भाई को ही मार डाला। हम 6 बहनें हैं, पुलिस वालों ने हमें अनाथ कर दिया। यह कहना है सलमान की छोटी बहन अमरीन का। वह रोते हुए कहती हैं– हमारी कोई सुनने वाला नहीं। हम हाथ जोड़कर इंसाफ चाहते हैं। सलमान के पिता कहते हैं– हम मुस्लिम हैं, इसलिए हमारे बेटे को मार डाला। पुलिस ने शिकायत तक बदलवा दी।

सड़क हादसों में महिला समेत तीन लोग घायल

संवाददाता–श्रावस्ती। अलग अलग सड़क हादसों में महिला समेत तीन लोग घायल हो गए। सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर देखते हुए दो घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। नवीन मॉडर्न थाना श्रावस्ती क्षेत्र के कटरा श्रावस्ती बाईपास पर स्थित गन्ना कांटे के पास बाइक व आटो रिक्शा में टक्कर हो गई। हादसे में सोना देवी (45) पत्नी शोभाराम निवासी गोपियापुर घायल हो गई। जिसे सीएचसी इकौना में भर्ती कराया गया। इसी तरह मल्हीपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मनपुर गंगापुर के मजरा गंगापुर निवासी ध्रुवराज (25) पुत्र किशोरी लाल व मंशा (21) शुक्रवार देर शाम को एक ही बाइक से बदला से घर वापस लौट रहे थे।

इस दौरान हरदत्त नगर गिरंट थाना क्षेत्र में जमुनहा बहराइच मार्ग स्थित बहोरवा गांव के पास बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई।

हादसे में दोनों गंभीररूप से घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मल्हीपुर में भर्ती कराया गया। जहां उनकी हालत गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल भिनगा रेफर कर दिया गया।

कार्यालय ग्राम पंचायत बनकसही वि0ख0 साऊंघाट जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 05–05–2025 से 09–05–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 09–05–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंडजा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(कमला चौधरी) ग्राम प्रधान **(अखिलेश वर्मा)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /03.05.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

अदालती नोटिस

(हेतु सन्दर्शित करने की सूचना साधारण प्रारूप)
न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) नं0 5 महोदय फैजाबाद
मूल वाद सं. 615/2020
रामशंकर
बनाम
शत्रोहन आदि

बनाम–1– शत्रोहन पुत्र रामचेत 2– राजेश पुत्र रामचेत 3– सत्यम पुत्र शत्रोहन निवासीगण मो0 वाग विगेसर पोस्ट– अयोध्या परगना हवेली अवध तहसील सदर जिला– अयोध्या

तारीख पेशी 21–05–2025

चूंकि उपरिनामांकित ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि अतएवं आपके एतद द्वारा चेतावनी दी जाती है कि आप इसे आदेश के खिलाफ हेतु सन्दर्भित करने के लिये 2025 के माह 05 के 21 दिवस को 10.00 बजे पूर्वान्ह में स्वयं या सम्पर्क रूपेण अनुर्दिष्ट अपने अधिवक्ता द्वारा उपस्थित हो और ऐसा न करने पर उक्त आवेदन एक पक्षीय रूप से सुना जायेगा।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा सहित आज सन 25 के माह के दिवस को निकाली गयी।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

(हेतु सन्दर्शित करने की सूचना साधारण प्रारूप)
न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) सदर महोदय फैजाबाद
इजरा वाद सं. 1/2025
लक्ष्मण यादव
बनाम
मानेन्द्र सिंह आदि

बनाम–1–मानेन्द्र सिंह 2– हुकुम सिंह पुत्रगण वृजकिशोर सिंह निवासीगण ग्राम– कुशमहा पोस्ट– दर्शन नगर अयोध्या परगना हवेली अवध तहसील सदर जिला– अयोध्या

तारीख पेशी 05–05–2025

चूंकि उपरिनामांकित ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि अतएवं आपके एतद द्वारा चेतावनी दी जाती है कि आप इसे आदेश के खिलाफ हेतु सन्दर्भित करने के लिये 2025 के माह 05 के 05 दिवस को 10.00 बजे पूर्वान्ह में स्वयं या सम्पर्क रूपेण अनुर्दिष्ट अपने अधिवक्ता द्वारा उपस्थित हो और ऐसा न करने पर उक्त आवेदन एक पक्षीय रूप से सुना जायेगा।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा सहित आज सन 2025 के माह के दिवस को निकाली गयी।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

(हेतु सन्दर्शित करने की सूचना साधारण प्रारूप)
न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) सदर महोदय फैजाबाद
मूल वाद सं. 388/2024
मो0 जिशान
बनाम
अब्दुल रहीम आदि

बनाम–1–अब्दुल रहीम पुत्र स्वर्गीय कयूम खान 2– खलीक वल्द स्वर्गीय पलेठन उर्फ सईदा 3– छुट्टन वल्द मरहूम लूटन समस्त निवासीगण ग्राम– तंघरही पोस्ट– नबाबगंज परगना व तहसील नबाबगंज जिला– गोण्डा हाल पता मोहल्ला पठान टोलिया वार्ड अमानीगंज तहसील सदर जनपद– अयोध्या

तारीख पेशी 07–05–2025

चूंकि उपरिनामांकित ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि अतएवं आपके एतद द्वारा चेतावनी दी जाती है कि आप इसे आदेश के खिलाफ हेतु सन्दर्भित करने के लिये 2025 के माह 05 के 07 दिवस को 10.00 बजे पूर्वान्ह में स्वयं या सम्पर्क रूपेण अनुर्दिष्ट अपने अधिवक्ता द्वारा उपस्थित हो और ऐसा न करने पर उक्त आवेदन एक पक्षीय रूप से सुना जायेगा।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा सहित आज सन 25 के माह के दिवस को निकाली गयी।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा बनाम रेपान्डेन्ट बावत इत्तिला तारीख मुकर्ररह समायत अपील
सिविल अपील सं0 42/2024
अदालत– श्रीमान अतिरिक्त जिला जज नम्बर 9 महोदय फैजाबाद
सर्वेश कुमार आदि
बनाम
नखई प्रसाद आदि

बनाम– 1. नखई प्रसाद पुत्र नान्हू निवासी साथीपुर पोस्ट– नबाबगंज तहसील तरबगंज जिला– गोण्डा 2– सुरेश कुमार पुत्र राम सुन्दर निवासी ग्राम– नगवा पूरे पण्डित तहसील तरबगंज जिला– गोण्डा 3– सुनील कुमार पुत्र चतुरीराम निवासी ग्राम– अशोकपुर तहसील तरबगंज जिला– गोण्डा 4. राजेश द्विवेदी पुत्र शिव प्रसाद द्विवेदी निवासी 145 कटरा अयोध्या तहसील सदर जिला– अयोध्या 5– दयाराम मौर्य पुत्र बुद्धू मौर्य निवासी 880 मोहल्ला नजरबाग शहर फैजाबाद तहसील सदर जिला– अयोध्या 6– श्रीमती मीना पत्नी स्वर्गीय आशीष कुमार सक्सेना 7– अंशुल कुमार उर्फ मुन्डू पुत्र स्वर्गीय आशीष कुमार सक्सेना 8– कुमारी स्वामी पुत्री स्वर्गीय आशीष कुमार सक्सेना 9– श्रीमती एकता उर्फ प्राप्ति पत्नी अमित कुमार निवासिनी प्रतापगढ विवाहित पुत्री स्वर्गीय आशीष कुमार सक्सेना 10. श्रीमती आकांक्षा उर्फ नैन्सी पत्नी श्री आयुष कुमार निवासिनी जनपद– अयोध्या विवाहित पुत्री स्वर्गीय आशीष कुमार सक्सेना हाल पता– 6/1/21 रानोपाली शहर व पोस्ट– अयोध्या तहसील सदर जिला– अयोध्या 11– विशाल कुमार पुत्र स्वर्गीय काली प्रसाद 12– अभिषेक कुमार 13– अंकुश कुमार पुत्रगण आनन्द कुमार सक्सेना 14– श्रीमती अमिता पत्नी स्वर्गीय आनन्द कुमार निवासीगण 6 ता.11 भवन संख्या 6/1/21 रानोपाली शहर व पोस्ट– अयोध्या तहसील सदर जिला– अयोध्या 15. मनोज कुमार मिश्र पुत्र ओम प्रकाश मिश्र निवासी 6/3/53 शेरगंज बाजार चक्रतीर्थ पोस्ट– अयोध्या तहसील सदर जिला– अयोध्या 16– हरेन्द्र बहादुर सिंह पुत्र सुरेन्द्र प्रताप सिंह निवासी गोकुल भवन टेढी बाजार परगना हवेली अवध तहसील सदर जिला– अयोध्या 17– वेद कुमार शाही उर्फ गुड्डू शाही निवासी मोहल्ला दुराहीकुंआ पोस्ट– अयोध्या परगना हवेली अवध तहसील सदर जिला–अयोध्या 18– राजेन्द्र प्रसाद पुत्र राम उजागिर 19– मंजीत कुमार पुत्र स्वर्गीय संतराम निवासीगण ग्राम– रानोपाली पोस्ट– अयोध्या परगना हवेली अवध तहसील सदर जिला– अयोध्या 20– अखिलेश कुमार पुत्र स्वर्गीय देवी प्रसाद निवासी 6/1/21 रानोपाली परगना हवेली अवध तहसील सदर जिला– अयोध्या 21– श्रीमती पुष्पा सिंह पत्नी नागेन्द्र सिंह निवासिनी मोहल्ला अवधपुरी कालोनी तहसील सदर जिला– अयोध्या 22– श्रीमती नीलू सिंह पत्नी स्वर्गीय दिनेश सिंह निवासिनी 231 अवधपुरी कालोनी अमानीगंज परगना हवेली अवध तहसील सदर जिला– अयोध्या 23– अरविन्द सिंह पुत्र देवकीनन्दन सिंह ग्राम– सुरैला पोस्ट– परसरामपुर जिला– बस्ती 24– श्रीमती सरोज सिंह पत्नी देवराज सिंह निवासिनी डी.ए.बी. कालेज नई बस्ती जिला– बलरामपुर 25– श्रीमती कमलेश पत्नी विनोद कुमार निवासिनी नन्दनगर परगना अमोढा तहसील हर्रैया जनपद बस्ती 26–गीता सिंह पत्नी वृजेन्द्र कुमार सिंह निवासी खड़वा कुंवर नगर परगना अमोढा तहसील हर्रैया जनपद बस्ती 27– श्रीमती ऊषा पत्नी मुकेश निवासिनी पिठौराभगर पोस्ट– नन्दनगर सिकन्दरपुर परगना अमोढा तहसील हर्रैया जनपद बस्ती 28– श्रीमती प्रीती गुप्ता पत्नी शिवकुमार गुप्ता निवासिनी सिकन्दरपुर खास बेलवा परगना अमोढा तहसील हर्रैया जनपद बस्ती 29– श्रीमती नीलम रानी पत्नी रमेश चन्द्र पाण्डेय निवासिनी ग्राम– जुडईपुर पोस्ट– परसपुर परगना अमोढा तहसील हर्रैया जनपद बस्ती 30– श्रीमती सरिता तिवारी पत्नी विवेक तिवारी निवासिनी ग्राम– उमापुर कैथोलिया पोस्ट– जाना बाजार तहसील बीकापुर जिला– अयोध्या

तारीख पेशी 14–05–2025

अपील बनराजी अदालत मुकाम मयरिखा महीना सन् 20 ई0 रेस्पान्डेन्ट

इत्तिला दी जाती है कि अपील बनराजी डिगरी इस मुकदमें में मुसम्मी ने पेश इस अदालत में दर्ज रजिस्टर हुआ और इस अदालत व तारीख 14 महीना 05 सन 2025 ई0 वास्ते जमानत तथा अपील मुकर्रर का है।

अगर खुद या आपके वकील या और शख्स जो कानूनन आपकी तरफ से अपील हाजा में जबाब सवाल करने वाजिद हो हाजिर न आयेगा तो उसकी समायत और तजबीज आपकी गैर हाजिरी में एकतरफा हो जायेगी। आज बतारीख माह सन ई. मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के हवाले किया गया।

द0 हाकिम

हॉस्पिटल मैनेजर पर जानलेवा हमला, गोली मिस होने से बाल–बाल बची जान

संवाददाता–गोरखपुर। बड़हलगंज में अंबेडकर चौराहे पर स्थित दुर्गावती हास्पिटल के प्रबंधक पर अज्ञात बदमाशों ने असलहे से जानलेवा हमला कर दिया। हालांकि गोली मिस होने के कारण वह बाल बाल बच गए। प्रबंधक ने घटना की लिखित सूचना पुलिस को दी है। इस घटना से प्रबंधक और उनके परिवार के लोग बुरी तरह डर गए हैं। वे हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हॉस्पिटल प्रबंधक ने पुलिस को विस्ष्तार से मामले की जानकारी दी है।

पुलिस को दी तहरीर में प्रबंधक मनोज तिवारी ने बताया है कि वह शुक्रवार की रात लगभग 11 बजे हॉस्पिटल से राउन्ड लेकर अपने किराये के आवास पर स्कूटी से जा रहे थे। आंबेडकर चौराहे के पास पहुंचे ही थे कि सफेद रंग की एक यूको स्पोर्टस कार उनका पीछा करने लगी। जब वह बाईपास रोड स्थित सत्कार होटल के आगे बढ़े तो उस कार में बैठे 3–4 लोग उन्ध्हें ओवरटेक कर रोकने का प्रयास करने लगे।

जब वह नहीं रुके तो उन लोगों ने जान से मारने के इरादे से असलहा निकाल कर उन पर फायर कर दिया। गनीमत रही कि गोली मिस कर गई। हमले में हॉस्पिटल मैनेजर की जान बाल–बाल बच गई। इसके बाद मैनेजर जान बचाने के लिए तेज गति से भागे। उनके अनुसार इसके बाद भी बदमाशों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। मैनेजर ने जनसेवा हॉस्पिटल गली में घुसकर किसी तरह अपनी जान बचाई।

इस बारे में पूछे जाने पर बड़हलगंज के एसओ चन्द्रभान ने बताया कि तहरीर मिली है। रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला जा रहा है। जांच कर कार्रवाई की जाऐगी।

दुर्गावती हॉस्पिटल के संचालक सर्जन डा. मनोज यादव और उनके हॉस्पिटल में कार्यरत डा. रोली पुरवार को भी 2 साल पहले रंगदारी की धमकी मिल चुकी हैं। जिसपर कुछ दिन तक डा. मनोज को सुरक्षा गार्ड भी मिला था। डा. मनोज का कहना है कि अगर अस्पताल के चिकित्सक, प्रबंधक सुरक्षित नही है तो वह मरीज की सेवा कैसे करेंगे।

जातीय जनगणना पर कांग्रेस का जश्न

संवाददाता–सिद्धार्थनगर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर जीत का जश्न मनाया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष काजी सुहेल अहमद के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिला कांग्रेस कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक धन्यवाद जुलूस निकाला। जिलाध्यक्ष काजी सुहेल अहमद ने कहा कि केंद्र सरकार का जातीय जनगणना का फैसला राहुल गांधी के संघर्ष का परिणाम है। उन्होंने कहा कि वंचितों को उनका हक दिलाने का राहुल गांधी का सपना साकार होता दिख रहा है। पूर्व विधानसभा प्रत्याशी किरन शुक्ला, कृष्ण बहादुर सिंह, सतीश चन्द्र त्रिपाठी और सादिक अहमद ने संयुक्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष किया। इसी का नतीजा है कि भाजपा सरकार ने जनगणना के लिए प्रस्ताव पारित किया। कार्यक्रम में मौलाना हमीदुल्लाह चौधरी, संतोष त्रिपाठी, रियाज मनिहार, आसिफ रिज्वी, राजन श्रीवास्तव समेत सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी ने एक–दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया।

सरकारी भूमि पर बने मदरसे पर गरजा प्रशासन का बुलडोजर

संवाददाता–सिद्धार्थनगर। पुलिस–प्रशासन की मौजूदगी में शनिवार को ढेबरुआ थाना क्षेत्र के पिपरा गांव में सरकारी भूमि पर बने मदरसे पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा। बुलडोजर ने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर भूमि को कब्जा मुक्त कर दिया। इसके बाद राजस्व टीम ने अतिक्रमण को हटवा कर समतल करते हुए निशानदेही की। शनिवार की सुबह एडीएम गौरव श्रीवास्तव के नेतृत्व में राजस्व टीम जिले के कई थानों की पुलिस के साथ पिपरा गांव में पहुंची। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। पीएससी एवं एसएसबी के साथ गांव के संवेदनशील स्थानों व अतिक्रमण किए गए जगह के आसपास सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई थी।

इसके बाद चिन्हित भूमि गाटा संख्या 102 रकबा 0.110 हेक्टेयर जिस पर मदरसा इस्लामिया इस्लामदुल मुस्लमीन के कमरे बने थे व बाउंड्रीवाल किया गया उस पर बुलडोजर गरजने लगा। तीन बुलडोजर के साथ पहुंची राजस्व टीम ने एक घंटे के अंदर ग्राम समाज की जमीन खलिहान पर अतिक्रमण कर बनाए गए मदरसे को जमींदोज कर समतल कर दिया। इस दौरान एएसपी सिद्धार्थ, एसडीएम राहुल सिंह, सीओ सुजीत राय, तहसीलदार अजय कुमार प्रथम आदि मौजूद रहे।

एसडीएम राहुल सिंह ने बताया कार्रवाई से पहले धारा 67 राजस्व संहिता के तहत आदेश पारित किया गया और अतिक्रमणकारी को 11 अप्रैल को नोटिस देते हुए 26 अप्रैल तक अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया था। इसका अनुपालन न करने पर शनिवार को राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण को हटवा दिया। यह मदरसा इंडो–नेपाल बॉर्डर के 10 किमी के सीमा के भीतर स्थित सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर बनाया गया था। नियमानुसार कार्रवाई करते हुए इसे हटाया गया है।

अदालती नोटिस

सम्मन बरगज इनफिसाल मुकदमा
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)
वाद सं0–
धारा 30 (2) उ0प्र0रा0सं02006
अदालत– श्रीमान जिलाधिकारी महोदय बस्ती जिला–बस्ती
शिवराम
बनाम
ग्राम पंचायत आदि

1. ग्राम पंचायत / अध्यक्ष भूमि प्रबन्धक समिति ग्राम पंचायत शंकरपुर तप्पा भानपुर परगना रसूलपुर तहसील भानपुर जिला–बस्ती 2. श्रीमती कमला देवी पत्नी बहरैची 3. रामजीत पुत्र बहरैची 4. श्रीमती कमलेश कुमारी पत्नी राजाराम 5.श्रीमती सुभावती पत्नी गिरजा प्रसाद निवासीगण शंकरपुर तप्पा भानपुर परगना रसूलपुर तहसील भानपुर जिला–बस्ती 6. सुनील कुमार सिंह पुत्र विजय कुमार सिंह 7. अजय कुमार सिंह 8. सुनील कुमार सिंह पुत्रगण अष्टभुजा प्रसाद सिंह 9. अशोक कुमार सिंह पुत्र बंशबहादुर सिंह 10. श्रीमती विमला देवी पत्नी बजरंग बहादुर सिंह 11. जितेन्द्र कुमार सिंह पुत्र बजरंग बहादुर सिंह 12. अवधेश सिंह पुत्र राज बहादुर सिंह निवासीगण मझारी तप्पा भानपुर परगना रसूलपुर तहसील भानपुर जिला–बस्ती 13. दिनेश 14. सुनील कुमार पुत्रगण सन्तराम 15. हरिश्चन्द्र लाल पुत्र जयकरन लाल 16. झन्नर सिंह उर्फ चन्द्रभान सिंह पुत्र शिवबहादुर 17. शिवम् 18. विनय 19. विपिन पुत्रगण केशवचन्द्र लाल 20. श्रीमती सरोज पत्नी केशवचन्द्र 21. मंशी 22. शिवानी 23. हर्षिता पुत्रीगण केशवचन्द्र लाल निवासीगण शंकरपुर तप्पा भानपुर परगना रसूलपुर तहसील भानपुर जिला–बस्ती 24. हरिश्चन्द्र सिंह पुत्र चन्द्रसेन सिंह साकिन दसिया 25. सुकलावती पुत्री हनुमान सिंह 26. साधू पुत्री बहोरी 27. गुडडू शर्मा 28. नैपाली शर्मा पुत्रगण रामसरन 29. श्रीमती किसमता देवी पत्नी रामसरन 30. अनिल कुमार शर्मा 31. सुनील कुमार शर्मा पुत्रगण रामदेव 32. रामदेव पुत्र अधारे साकिनान मौजा शंकरपुर तप्पा भानपुर परगना रसूलपुर तहसील भानपुर जिला–बस्ती

तारीख पेशी 14–05–2025

वाजेह हो कि जर्नादन ने ने आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 14 माह 05 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा। बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

सिरफिरे ने बुजुर्ग महिला का कुल्हाड़ी से धड़ से अलग किया सिर, ग्रामीणों ने कातिल को पेड़ से बांधकर पीटा

संवाददाता–गोरखपुर। बेलीपार इलाके के ककराखोर गांव में शुक्रवार शाम एक सिरफिरे युवक ने बुजुर्ग कैलाशी देवी (65) की कुल्हाड़ी से कई वार कर हत्या कर दी। घटना के बाद जुटे ग्रामीणों ने गांव के ही आरोपी लखन सिंह उर्फ गोलू (32) को पकड़कर पीटा और पुलिस के पहुंचने पर सौंप दिया। घटना में इस्तेमाल कुल्हाड़ी को बरामद कर घायल आरोपी को पुलिस अस्पताल ले गई। इधर, सूचना पर एसपी साउथ जितेंद्र कुमार, सीओ बांसगांव दरवेश कुमार, थाना प्रभारी खजनी अर्चना सिंह और थाना प्रभारी के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन की। पुलिस ने ग्रामीणों व परिजनों से पूछताछ की तो पता चला कि आरोपी लखन सिंह उर्फ गोलू सिंह मनबढ़ किस्म का है। आए दिन लोगों से विवाद करता रहता है। बेवजह किसी के भी घर में घुस जाता है। शुक्रवार शाम करीब 5:15 बजे वह कुल्हाड़ी लेकर गांव के ही योगेंद्र सिंह के घर के पीछे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा। इस दौरान उनकी बहू देखते ही खुद को कमरे में बंद कर लिया। फिर वह घर के सामने का दरवाजा तोड़कर बाहर निकला।

घर के दरवाजे पर चार–पांच बच्चे एक पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ रहे थे, उन्हें कुल्हाड़ी लेकर दौड़ लिया।

किसी तरह बच्चों ने भागकर जान बचाई। इसके बाद फिर योगेंद्र सिंह के घर के पास पहुंचा। वहां दरवाजे पर उनकी पत्नी कैलाशी देवी बैठी थीं। बताया जा रहा है कि आरोपी उनके गर्दन पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। इससे उनका सिर धड़ से अलग हो गया और घटनास्थल पर उनकी मौत हो गई। इस बात की खबर पाते ही उनके पड़ोसी और गांव के लोग घेराबंदी कर आरोपी को दौड़कर पकड़ लिए और पिटाई कर उसे एक पेड़ से बांधकर बेलीपार पुलिस को सूचना दी। ग्रामीणों ने बताया कि आरोपी लखन सिंह पहले भी कई लोगों पर हमला कर चुका है। आरोपी किशोर अवस्था में ही अपराध करने लगा था। वर्ष 2006–07 में वह महावीर छपरा स्थित एक इंटर कॉलेज में एक छात्रा को चाकू मार दिया था।

इस पर उसे बाल सुधार गृह भेजा गया था। गांव में भी कई लोगों पर हमला कर चुका है। करीब एक वर्ष पूर्व एक दरोगा से भी मारपीट की थी। दोपहर में गांव के रणवीर सिंह के दरवाजे पर भी चाकू लेकर चढ़ गया था तो वहां पर उपस्थित लोगों ने सख्ती दिखाकर उसे भगा दिया था।

जितेंद्र कुमार, एसपी दक्षिणी ने कहा कि आरोपी को पकड़ लिया गया है। उसके पास से कुल्हाड़ी भी बरामद किया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

अदालती नोटिस

(हेतु सन्दर्शित करने की सूचना साधारण प्रारूप)
(आर्डर 5 कायदा 3)
न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) महोदय बस्ती जिला–बस्ती
प्रकीर्णवाद सं0 94 / 2024
रामसूरत आदि
बनाम
नरायन दत्त आदि

1. नरायन दत्त उम्र 77 साल पुत्र लुटई 2. जोखूराम उम्र 47 साल पुत्र नरायन दत्त 3. गंगाराम उम्र 42 साल पुत्र रामयज्ञ 4. शिव प्रसाद उम्र 57 साल पुत्र झकड़ी 5. रामलौट उम्र 57 साल पुत्र रामदेव निवासीगण ग्राम बनियाजोत तप्पा रामगढ़ परगना अमोढ़ा तहसील हर्रैया जिला–बस्ती

तारीख पेशी 17–07–2025

चूंकि उपरीनामांकित ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि अतएवं आपके एतद द्वारा चेतावनी दी जाती है कि आप इसे आदेश के खिलाफ हेतु सन्दर्भित करने के लिये 2025 के माह 07 के 17 दिवस को 10.00 बजे पूर्वान्ह में स्वयं या सम्पर्क रूपेण अनुर्दिष्ट अपने अधिवक्ता द्वारा उपस्थित हो और ऐसा न करने पर उक्त आवेदन एक पक्षीय रूप से सुना जायेगा।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा सहित आज सन 20 के माह के दिवस को निकाली गयी।

द0 हाकिम

अधिवक्ताओं ने नारेबाजी कर किया प्रदर्शन

संवाददाता–संतकबीरनगर। संतकबीरनगर जिले में तहसील परिसर में उपनिबंधन कार्यालय के नए भवन का निर्माण कराए जाने की मांग को लेकर करीब 6 माह से धनघटा तहसील के अधिवक्ताओं द्वारा किया जा रहा धरना–प्रदर्शन का आंदोलन लगातार जारी है। न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर तहसील बार एसोसिएशन धनघटा के अध्यक्ष हनुमान प्रसाद चौधरी के नेतृत्व में धरना दिया। अधिवक्ताओं ने बताया है कि तहसील परिसर में स्थित सब ट्रेजरी भवन में 27 अक्टूबर 2018 को तत्कालीन विधायक श्रीराम चौहान द्वारा उपनिबंधन कार्यालय का शानदार लोकार्पण किया है। उसके बाद भी अनैतिक–अवैधानिक रूप में तहसील में एक किमी. दूर मानक के विपरीत विवादित भूमि पर उपनिबंधन कार्यालय के नए भवन का निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

जबकि इस पर न्यायालय का स्थगन आदेश है। इसकी अवहेलना की जा रही है। अधिवक्ताओं ने पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए तहसील की भूमि एवं नजारत कार्यालय भवन को पुलिस से मुक्त कराकर तहसील परिसर में सब ट्रेजरी भवन में लोकार्पित उपनिबंधन कार्यालय को शिफ्ट कराने की मांग की है।

वक्फ सुधार अधिनियम पर हुआ चर्चा

संवाददाता–सिद्धार्थनगर। शनिवार को भाजपा द्वारा नौगढ़ में वक्फ सुधार अधिनियम जन जागरण अभियान के तहत ष्अल्पसंख्यक प्रबुद्ध संवादष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र के सांसद एवं जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पाल मुख्य अतिथि रहे। सांसद पाल ने कहा कि वक्फ सुधार अधिनियम देश के गरीब और बेसहारा अल्पसंख्यक परिवारों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने बताया कि सच्चर समिति की रिपोर्ट में बोहरा, आधारखानी, पासमंदा, विषवार, मुस्लिम महिलाएं और ओबीसी के बीच गरीबी को प्रमुखता से उजागर किया गया था। पाल ने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक समझा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने सबका साथ–सबका विकास के तहत सच्चर रिपोर्ट का वास्तविक क्रियान्वयन किया है। वक्फ संशोधन अधिनियम में मनमानी और शोषण को समाप्त कर सबको समान अधिकार दिए गए हैं। अरल्पसंख्यक मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष शेशन जमीर ने कहा कि यह पहली सरकार है जो सभी वर्गों का सम्मान करते हुए अधिकार दिलवाने का काम कर रही है। जिलाध्यक्ष कन्हैया पासवान ने कहा कि यह अधिनियम सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में पास हुआ, जो इतिहास में दर्ज होगा।

फरार चल रहा हत्यारोपी गिरफ्तार

संवाददाता–सिद्धार्थनगर। जोगिया कोतवाली पुलिस ने हत्या के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। केस दर्ज होने के बाद से फरार चल रहा था। पुलिस तलाश कर रही थी। थानाध्यक्ष अनूप कुमार मिश्र ने बताया कि सूरज पुत्र गंगाराम पासवान निवासी सियरापार थाना उस्का बाजार के खिलाफ जनपद धारा 103(1), 61(2) बीएनएस दर्ज था। वह फरार चल रहा था। शनिवार को उसे घटना मे प्रयुक्त आलाकत्ल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी करने वालों में उनके साथ कांस्टेबल प्रदीप उपाध्याय व बालेश्वर निषाद मौजूद रहे।

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) एफ0टी0सी0 महोदय बस्ती जिला–बस्ती
प्रकीर्ण सिविलवाद सं0–154 / 2023
मूलवाद सं0–619 / 10
कृष्णकान्त शुक्ल
बनाम
हरि प्रकाश

1. हरि प्रकाश उम्र लगभग 78 वर्ष पुत्र श्याम बिहारी लाल निवासी मौजा पिपरा तप्पा पिपरा परगना नगर पूरव तहसील व जिला–बस्ती 2. शिवपूजन लाल उम्र लगभग 73 वर्ष पुत्र गौरीशंकर लाल (मृतक)
2/1 गीता श्रीवास्तव उम्र लगभग 75 वर्ष विधवा शिवपूजन 2/2 शरद श्रीवास्तव उम्र लगभग 50 वर्ष पुत्र शिवपूजन निवासी मौजा पिकौरा तप्पा गौर परगना बस्ती पश्चिम तहसील हर्रैया जिला–बस्ती

–विपक्षीगण प्रथम वर्ग

3. शिवाकान्त शुक्ल उम्र लगभग 38 साल पुत्र सूर्यलाल साकिन नायक टोला कस्बा मेहदावल जिला संतकबीरनगर हाल मुकाम गायघाट तप्पा चरकैला परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला–बस्ती

–विपक्षी द्वितीय वर्ग

तारीख पेशी 31–05–2025

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 31 माह 05 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया। –द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) महोदय बस्ती जिला–बस्ती
वाद सं0–688 / 2024
जियावन शुक्ला
बनाम
श्रीमती अम्बाला देवी आदि

1. श्रीमती अम्बाला देवी पत्नी कृष्णमणि साकिना सजेहरा तप्पा कबरा पो0 देईसाड़ परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती 2. कृष्णमणि त्रिपाठी पुत्र जयजयराम साकिना सजेहरा तप्पा कबरा पो0 देईसाड़ परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती

तारीख पेशी 29–07–2025

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 29 माह 07 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

अप्राकृतिक दुष्कर्म के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त

संवाददाता–संतकबीरनगर। संतकबीरनगर जिले में बालक के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने निरस्त कर दिया। आरोपी इमरान पर वादी के 12 वर्षीय नाबालिग भतीजा समेत पांच अन्य अवयस्क बालकों के साथ चाकू के नोंक पर अप्राकृतिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है । मामला जिले के कोतवाली क्षेत्र के खलीलाबाद शहर के एक मोहल्ले का है। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट सत्य प्रकाश गुप्त उर्फ टीटू ने बताया कि प्रकरण में पीड़ित बालक के चाचा ने अभियोग पंजीकृत कराया है। आरोप है कि वह मूल रूप से महुली थानाक्षेत्र के एक गांव का रहने वाला है और वर्तमान समय में खलीलाबाद शहर में निवास कर रहा है।

उनका 12 वर्षीय अवयस्क भतीजा 13 फरवरी 2025 को दिन में लगभग तीन बजे खेल रहा था । आरोपी इमरान पुत्र जुनैद अली उर्फ बबलू भतीजे को बहला फुसलाकर मोटर साइकिल पर बैठाकर धमरजा के बंद पड़े भट्ठे पर ले गया और चाकू मारने की धमकी देकर अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। आरोपी ने पीड़ित समेत पांच अन्य अवयस्क बालकों के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। भतीजा गुमशुम रहने लगा। पूछने पर बताया कि आरोपी ने उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया है। आरोपी के घर शिकायत करने पर आरोपी के घर वालों ने जान से मारने की धमकी दी। आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र का विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट सत्य प्रकाश गुप्त उर्फ टीटू ने विरोध किया। उनका तर्क था कि पीड़ित ने कथन किया है कि बकरी के लिए पत्ता तोड़ने के बहाने ईंट भट्ठे पर ले जा करके अप्राकृतिक दुष्कर्म किया।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा माध्यमिक शिक्षा परिषद उ.प्र. हाई स्कूल वर्ष **2007** अनुक्रमांक **20485283** का अंक पत्र वास्तव में खो गया है।

(शमसेर सिंह)
पुत्र गिरिजाशंकर सिंह
ग्राम– बोदवल पोस्ट– मुण्डेरवा
जनपद बस्ती (उ.प्र.)

अदालती नोटिस

इश्तहार मजरिया अदालत– श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) महोदय बस्ती जिला–बस्ती
प्रकीर्णवाद सं0 90 / 2025
अरूण कुमार–सायलान

1. अरूण कुमार उम्र लगभग 55 वर्ष 2. राम अनुज उम्र लगभग 50 वर्ष 3. क्रांति कुमार उम्र लगभग 52 वर्ष पुत्रगण झुगीनाथ निवासीगण ग्राम बढ़नी थाना नगर तप्पा खुरियार परगना नगर पश्चिम तहसील हर्रैया जिला–बस्ती 4. श्रीमती आरती शुक्ला पत्नी दयानन्द शुक्ला पुत्री झुगीनाथ निवासी रौतापार निकट अम्बेडकर पार्क पोस्ट गांधीनगर तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरव थाना कोतवाली जिला–बस्ती हाल मुकाम ग्राम व पोस्ट बढ़नी तप्पा खुरियार परगना नगर पश्चिम तहसील हर्रैया जिला–बस्ती

तारीख पेशी 19–05–2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम–1925
दरख्वास्त मुसम्मा
वास्ते हुसूल सर्टीफिकेट वसूल कर्जा व विकालत हाय दरख्वास्त मुसम्मा मुतवफ्फा अपने बमूजिब एक्ट 7 सन 1889 ई0 वकैद

हरगाह मुसम्मा ने दरख्वास्त हुसूल सर्टीफिकेट गुजरानी है और तारीख माह सन ई0 वास्ते समाअत दरख्वास्त के मुकर्रर हुई है। लिहाजा यह इश्तिहार जारी किया जाता है कि किसी को निस्बत के उज्र हो या असालतन या वकालतन वक्त 10 बजे सुबह अदालत सिविल जज (सी0डि0) बस्ती बतारीख पेशी 19–05–2025 मुकर्रर हाजिर होकर उज्र अपना पेश करें। दरसूरत इनकजाय तारीख मजकूर के फिर उज्र किसी का सुना न जायेगा और हुक्म मुनासिब निस्बत दरख्वास्त मजकूर के सादिर होगा।

अलमरकूम माह सन 20 ई0।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा बनाम रेपान्डेन्ट बावत इत्तिला तारीख मुकर्ररह समायत अपील
सि0 निगरानी सं0– 53 / 2024
अदालत– श्रीमान विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट महोदय बस्ती जिला–बस्ती
किशोर (मृतक) आदि
बनाम
राम अधारे

1/1/1 अनिल कुमार चौरसिया 1/1/2 सुनील कुमार चौरसिया पुत्रगण रामनौकर 2/1 व्यायमुनि पुत्र पारस 3/1/1 लालूराम 3/1/2 रेखा नावालिग पुत्र व पुत्री रामचन्द्रिका ववलायत रामचन्द्रिका पिता खुद 4. रामफेर पुत्र रामआसरे 5/1 केवीलाल पुत्र गनेश 5/5 सुशीला देवी पत्नी वालगोविन्द 7/1 राधेश्याम 7/2 श्यामलाल 7/3 रामशंकर 7/4 जय प्रकाश पुत्रगण रामलखन 13. शीला 14. गीता पुत्रीगण किशोर निवासीगण मौजा कस्बा खलीलाबाद तप्पा दखिन हवेली परगना मगहर पूरव तहसील खलीलाबाद जिला–संतकबीरनगर

तारीख पेशी 20–05–2025

अपील बनराजी अदालत मुकाम बस्ती
मयरिखा महीना सन् 20 ई0 रेस्पान्डेन्ट

इत्तिला दी जाती है कि अपील बनराजी डिगरी इस मुकदमें में मुसम्मी ने पेश इस अदालत में दर्ज रजिस्टर हुआ और इस अदालत व तारीख 20 महीना 05 सन 2025 ई0 वास्ते जमानत तथा अपील मुकर्रर का है।

अगर खुद या आपके वकील या और शख्स जो कानूनन आपकी तरफ से अपील हाजा में जबाब सवाल करने वाजिद हो हाजिर न आयेगा तो उसकी समायत और तजबीज आपकी गैर हाजिरी में एकतरफा हो जायेगी।

आज बतारीख माह सन 2025 ई. मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के हवाले किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बनाम कायम मुकाम कानूनी मुदाअलेह मुतवफ्फा
(आर्डर 22, कायदा 4)
न्यायालय–श्रीमान चतुर्थ अति0 सिविल जज (जू0डि0) महोदय बस्ती जिला–बस्ती
वाद सं0–478 / 2021
राजेन्द्र प्रसाद
बनाम
रामचरन

1/1 निर्मला देवी पत्नी रामचरन 1/2 रवि पुत्र रामचरन निवासीगण ग्राम खेमराजपुर तप्पा बेलवा परगना अमोढ़ा तहसील हर्रैया जिला बस्ती

तारीख पेशी 21–05–2025

हरगाह मुद्दई ने एक नालिश इस अदालत में बतारीख माह सन 20 ई0 बनाम मुद्दाअलेह के रूजू की थी, जो बाद की मौत हरगाह मुद्दई मजकूर ने एक दरख्वास्त इस अदालत में गुजारी है कि आप मुतवफ्फा मजकूर का कायम मुकाम कानूनी वारिस है और चाहता है कि बजाय उसके मुद्दाअलेह बनाये जांय।

लिहाजा आपको हुक्म होता है कि बतारीख 21 माह 05 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर मुकदमा मजकूर जबाबदेही कीजिये और अगर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा वगैर हाजिरी आपके मसमूअ और फैसला होगा।

बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

कार्यालय नगर पालिका परिषद, बस्ती

पत्रांकः637A / न0पा0प0बस्ती / अधि0अधि0 / 2025 / 26 दिनांकः–02.05.2025

नोटिस हस्त दफा 147 (2) यू० पी० म्यूसिपैल्टी ऐक्ट 1916

श्रीमती राधिका पत्नी स्व० कन्हैया लाल, अश्वनी कुमार पुत्र स्व० कन्हैया लाल एवं कु० वर्षा पुत्री स्व० कन्हैया लाल को सूचित किया जाता है कि, मकान नं0–855 वार्ड नं0–01 के हिस्से पर रजिस्ट्री बैनामें के आधार पर मोहल्ला डुमरियागंज रोड बस्ती पो० पुरानी बस्ती, तप्पा पड़िया परगना बस्ती पूरब, के संबंध में श्री राकेश कुमार कसौधन पुत्र स्व० रामजी ने अपना अधिपत्य प्रकट किया है और उपरोक्त भवन पर अपना नाम नगर पालिका बस्ती के कर अभिलेखों में दर्ज कराने हेतु आनलाइन आवेदन पत्र दिया है। इस सम्बन्ध में जिस किसी व्यक्ति को आपत्ति हो वह 30 दिन के अन्दर अथवा बजरिये प्रतिनिधि इस सूचना के जारी होने के अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में कर सकते है। वक्त गुजरने के बाद कोई सुनवाई नहीं होगी।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका परिषद बस्ती

पत्रांकः637A / न0पा0प0बस्ती / अधि0अधि0 / 2025 / 26 दिनांकः–02.05.2025

दैनिक भारतीय बस्ती
संस्थापक सम्पादक स्व. दिनेश चन्द्र पाण्डेय
स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1–4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।

प्रबन्ध सम्पादक–**दिनेश सिंह**
संयुक्त सम्पादक–**प्रदीप चन्द्र पाण्डेय**
अयोध्या–फैजाबाद कार्यालय–
चतुर्भुजी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या–फैजाबाद
लखनऊ कार्यालय–
आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच. कानपुर रोड लखनऊ।
गोरखपुर कार्यालय–
इलाहीबाग गोरखपुर।
मो09450567450 9336715406,
ई.मेलbhartiyabasti@yahoo.com
bhartiyabasti@gmail.com